<u>न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.प्रकरण) झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश–**बरकत अली** (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>सेशन प्रकरण संख्या-43/2017</u>

<u>सी.आई.एस. नं.-43/2017</u>

राजस्थान राज्य

बनाम

01- रमेश दौलतपुरिया उर्फ राहुल पुत्र हरिशचंद, उम्र-38 साल, निवासी दौलतपुरा, पुलिस थाना सदर, झुन्झनू, जिला-झुन्झनू (राज.),

02-भीम सिंह उर्फ भीमा पुत्र लक्ष्मण सिंह, उम्र-28 साल, निवासी जोलपा, पुलिस थाना खानपुर, जिला-झालावाड (राज.),

03-शिवराज चौधरी पुत्र महावीर चौधरी, उम्र-32 साल, निवासी नया गांव, पुलिस थाना आरकेपुरम, कोटा शहर हाल फतेहपुर, पुलिस थाना सदर, बांरा, जिला-बांरा (राज.),

04-रणवीर सिंह पुत्र हीरालाल, उम्र-38 साल, निवासी गोपालपुरा, पुलिस थाना अन्ता, जिला-बांरा, हाल प्लाट नम्बर-2 ग 33, टीचर्स कॉलोनी, कोटा शहर (राज.), ...फौत होने से कार्यवाही ड्राप की गई।

05-मनोज उर्फ गोरू पुत्र मन्नालाल, उम्र-45 साल, निवाासी गोदाम की तलाई, झालावाड, पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड, जिला-झालावाड (राज.),

06-इरफान अली पुत्र लियाकत अली, उम्र-32 साल, निवासी बर्डी के चबूतरे के पास, झालरापाटन, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला-झालावाड (राज.),

07-रूप सिंह पुत्र भीम सिंह, उम्र-43 साल, निवासी गिन्दौर, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला-झालावाड (राज.)

08-श्यामा उर्फ श्याम मीना पुत्र कालूलाल, निवासी जवाहर कॉलोनी, झालावाड, पुलिस थाना झालावाड (राज.)

...........अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा-399,402,120 बी, 216 ए, 216 भा.दं.सं., धारा-3/25,7/25,(1 क,क) आयुध अधिनियम, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-170/2016, पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड।

उपस्थितः-

1-श्री शैलेन्द्र सिंह पंवार विशिष्ठ लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

2-श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत तथा श्री गजेन्द्र सेन, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 04.05.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 22.5.2016 को थाना कोतवाली झालावाड के थानाधिकारी हर्षराजसिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाशान मय हथियारों के कालीदास कॉलोनी में एक मकान में बड़ी वारदात को अंजाम देने हेतु इकट्ठा हुए है। उक्त सूचना पर वह मय जाप्ता के कालीदास कॉलोनी में कांति मेडम के मकान के पास पहुंचा तो मकान के बाहर एक फोरचूनर कार, एक बजाज पल्सर मोटर साईकिल व एक बोलेरो जीप खड़ी थी। नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त मकान के मुख्य दरवाजे के पास बने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो कमरे में 05 व्यक्ति मय हथियारों के नजर आये, जो आपस में कोटा रोड़ स्थित पेट्रोल पंप को लूटने की बात कर रहे थे। इस दौरान इन व्यक्तियों को जाप्ता बावर्दी दिखाई देने पर सभी बाहर निकल कर भागने का प्रयास करने लगे। जाप्ते की मदद से तीन हथियारबंद बदमाशान को पकड़ने की सफलता मिली परन्तु दो बदमाश फोरचूनर कार संख्या आर.जे.-20-यू.सी-0012 में बैठकर भागने में सफल रहे, जिनको जाप्ता ने राहूल उर्फ रमेश दौलतपुरिया व राधेश्याम उर्फ श्याम मीणा के रूप में पहचान की। पकड़ने में आये तीन व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो नाम भीमसिंह उर्फ भीमा जिसके पास एक कारबाईन गन मय लोडेड मेगजीन व पेंट की जेब में एक अतिरिक्त लोडेड मेगजीन व जेब 60 जिदा कारतूस मिले, दूसरे ने अपना नाम रणवीरसिंह बताया, जिसकी पेंट की ओट में एक रिवाल्वर 22 मय 08 कारतूस व पेंट की बांयी जेब में 22 के 17 जिंदा कारतूस मिले, तीसरे

ने अपना नाम शिवराज चौधरी बताया, जिसके पास पेंट की आड़ में एक पिस्टल 7.62 एमएम लम्बाई 10-15 से.मी. लोडेड मय 06 कारतूस व पेंट की दांयी जेब में एक पृथक लोडेड मेगजीन 06 कारतूस वाली व 10 कारतूस 34-35 एम.एम. पृथक से मिले। भागने में सफल रहे आरोपी राहूल उर्फ रमेश दौलतपुरिया के कब्जे से मौके पर गिरी 9 एमएम पिस्टल लोडेड मय 06 कारतूस को जप्त किया गया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर माल मुलजिमान के वापसी थाने पर आये....... इत्यादि।

02- वापसी थाने पर आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-170/2016 अन्तर्गत **धारा-399, 402 भा.दं.सं. तथा धारा-3/25 आयुध अधिनियम** में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया, भीम सिंह उर्फ भीमा, शिवराज चौधरी, रणवीर सिंह के विरूद्व धारा-399,402,120बी भा.दं.सं. व धारा-3/25, 7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम में, अभियुक्त् मनोज उर्फ गौरू तथा इरफान अली के विरूद्व धारा-216ए भा.दं.सं. तथा धारा-7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम में, अभियुक्त रूप सिंह के विरूद्व धारा-216 भा.दं.सं. में तथा अभियुक्त श्यामा उर्फ श्याम मीना के विरूद्व धारा-399, 402, 120बी भा.दं.सं. में चालान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जो सेशन कमिट होकर सेशन न्यायालय में प्राप्त होकर उत्तरोत्तर क्रम में अन्तरित होकर न्यायालय हाजा में प्राप्त हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

03- बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया, भीम सिंह उर्फ भीमा, शिवराज चौधरी, रणवीर सिंह के विरूद्व धारा-399,402,120बी भा.दं.सं. व धारा-3/25, 7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम, अभियुक्त् मनोज उर्फ गौरू तथा इरफान अली के विरूद्व धारा-216ए भा.दं.सं. तथा धारा-7/25

(1क,क) आयुध अधिनियम, अभियुक्त रूप सिंह के विरूद्व धारा-216 भा.दं.सं., तथा अभियुक्त श्यामा उर्फ श्याम मीना के विरूद्व धारा-399, 402, 120बी भा.दं.सं. के आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04- विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष में निम्नलिखित गवाहान को परीक्षित करवाया गयाः-

क्र.सं.	साक्षी क्रमांक	नाम साक्षी	किस संबंध का साक्षी
1	पी.ड.-1	हेमन्त सिंह	ताईद फर्द गिरफ्तारी रमेश दौलतपुरिया
2	पी.ड.-2	राजेश	ताईद चश्मदीद वाका
3	पी.ड.-3	रामगोपाल	ताईद मेकेनिकल मुआयना
4	पी.ड.-4	हेमेन्द्र पाल सिंह	ताईद चश्मदीद वाका, फर्द जब्ती फोरचूनर, हथियारों का मेकेनिकल मुआयना
5	पी.ड.-5	बाबूलाल	ताईद चश्मदीद वाका
6	पी.ड.-6	दिलीप कुमार	ताईद फर्द तस्दीक हथियार स्थान मकान रमेश दौलतपुरिया
7	पी.ड.-7	हर्षराज सिंह	ताईद एफआईआर व फर्दात, चश्मदीद वाका, ताईद सी.एस. कता करना
8	पी.ड.-8	राजेश कुमार	ताईद चश्मदीद वाका, फर्द जब्ती फोरचूनर,
9	पी.ड.-9	दानमल	ताईद चश्मदीद वाका
10	पी.ड.-10	लाजपत	ताईद फर्द जब्ती स्कार्पियो कार
11	पी.ड.-11	छोटूलाल	मालखाना में माल जमा करना, मेकेनिकल मुआयना हेतु देना,
12	पी.ड.-12	शिशुपाल सिंह	ताईद बयान धारा-161 दं.प्र.सं.
13	पी.ड.-13	कुन्दन कुमार	ताईद नक्शा मौका व चश्मदीद वाका

14	पी.ड.-14	हंसराज	ताईद चश्मदीद वाका
15	पी.ड.-15	रामरतन	ताईद नक्शा मौका व चश्मदीद वाका
16	पी.ड.-16	हीरालाल सैनी	ताईद चश्मदीद वाका तथा फर्द जब्ती बोलेरो कार
17	पी.ड.-17	रामनिवास मीणा	ताईद फर्द जब्ती स्कार्पियो कार
18	पी.ड.-18	लखनलाल	हालात अनुसंधान
19	पी.ड.-19	संदीप	ताईद चश्मदीद वाका
20	पी.ड.-20	मनोज सिंह	ताईद चश्मदीद वाका तथा फर्द जब्ती बोलेरो कार

05- अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित प्रलेख प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र०सं०	प्रदर्श क्र-मांक	नाम दस्तावेज
01-	प्र.पी-01	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया
02-	प्र.पी-02	फर्द जब्ती एवं चैकिंग
03-	प्र.पी-03	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
04-	प्र.पी-04	फर्द तस्दीक हथियार प्राप्ति स्थान
05-	प्र.पी-05	फर्द गिरफ्तारी अभिुक्त इरफान अली
06-	प्र.पी-06	फर्द तस्दीक हथियार प्राप्ति स्थान
07-	प्र.पी-07	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मनोज यादव उर्फ गौरू
08-	प्र.पी-08	फर्द जब्ती मारूती स्विफ्ट कार
09-	प्र.पी-09	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
10-	प्र.पी-10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शिवराज चौधरी
11-	प्र.पी-11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रणवीर सिंह
12-	प्र.पी-12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भीम सिंह उर्फ भीमा
13-	प्र.पी-13	फर्द जब्ती बोलेरो कार
14-	प्र.पी-14	फर्द जब्ती बजाज पल्सर मोटर साईकिल

15-	प्र.पी-15	स्वतंत्र गवाह तलबी का हुक्मनामा
16-	प्र.पी-16	प्रथम सूचना रिपोर्ट
17-	प्र.पी-17	नकल रपट रोजनामचा
18-	प्र.पी-18	नकल रपट रोजनामचा
19-	प्र.पी-19	मालखाना रजिस्टर
20-	प्र.पी-20	फर्द जब्ती फोरचूनर कार
21-	प्र.पी-21	घटना स्थल का नक्शा मौका
22-	प्र.पी-22	फर्द जब्ती स्कार्पियो कार
23-	प्र.पी-23	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया
24-	प्र.पी-24	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया
25-	प्र.पी-25	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया
26-	प्र.पी-26	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त इरफान अली
27-	प्र.पी-27	धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त भीम सिंह उर्फ भीमा
28-	प्र.पी-28	कोतवाली, झालावाड का पुलिस अधीक्षक को पत्र
29-	प्र.पी-29	अभियुक्त शिवराज की काल डिटेल
30-	प्र.पी-30	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया
31-	प्र.पी-31	नकल रपट रोजनामचा
32-	प्र.पी-32	एफ.आई.आर. सं.-46/1994 थाना झूझंनू
33-	प्र.पी-33	एफ.आई.आर. सं.-199/1997 थाना झूझंनू
34-	प्र.पी-34	एफ.आई.आर. सं.-199/1997 थाना झूझंनू
35-	प्र.पी-35	एफ.आई.आर. सं.-308/1994 थाना झूझंनू
36-	प्र.पी-36	एफ.आई.आर. सं.-333/1998 थाना उदयपुरवाटिया
37-	प्र.पी-37	एफ.आई.आर. सं.-291/1998 थाना झूझंनू

38-	प्र.पी-38	एफ.आई.आर. सं.-94/1993 थाना झूझंनू
39-	प्र.पी-39	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त रणवीर सिंह
40-	प्र.पी-40	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त रणवीर सिंह
41-	प्र.पी-41	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त रणवीर सिंह
42-	प्र.पी-42	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त शिवराज सिंह
43-	प्र.पी-43	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त भीम सिंह उर्फ भीमा
44-	प्र.पी-44	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त भीम सिंह उर्फ भीमा
45-	प्र.पी-45	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त श्याम उर्फ राधेश्याम
46-	प्र.पी-46	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया उर्फ राहुल
47-	प्र.पी-46	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राधेश्याम उर्फ श्याम
48-	प्र.पी-47	अभियोजन स्वीकृति
49-	प्र.पी-48	कलेक्टर, झुंझनू का थानाधिकारी को पत्र
50-	प्र.पी-49	कलेक्टर, बारां का थानाधिकारी को पत्र
51-	प्र.पी-50	कलेक्टर, बारां का थानाधिकारी को पत्र
52-	प्र.पी-51	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त श्याम उर्फ राधेश्याम

06- अभियोजन साक्ष्य के दौरान दिनांक 15.02.2020 को अभियुक्त रणवीर सिंह की फौती रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके विरूद्व कार्यवाही ड्राप की गई।

07- साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द.प्र.सं. में लिया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान का झूंठ बोलना कथन किया तथा स्वंय का हस्तगत प्रकरण की घटना में संलिप्त नहीं होना जाहिर किया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। इस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई। अभियोजन साक्ष्य के दौरान गवाह हेमेन्द्र पाल सिंह के पुलिस बयान को प्र.डी-1 के तौर पर प्रदर्शित करवाया गया।

08- उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

09- दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला सन्देह से परे साबित है। अभियुक्तगण डकैती के प्रयोजन से कांति मेडम के मकान पर इकट्ठा हुए थे। मुलजिमान के कब्जे से भारी मात्रा में आर्म्स और प्रतिबंधित आर्म्स बरामद हुए हैं, जिनका मुलजिमान के पास किसी भी तरह का कोई वेलीड लाईसेंस नहीं था। उक्त आर्म्स मुलजिमान के कब्जे में पाये जाने के संबंध में मुलजिमान के द्वारा किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मुलजिमान आपराधिक प्रवृति के के व्यक्ति हैं, जिनका पूर्व का आपराधिक रिकार्ड पत्रावली पर है। अतः मुलजिमान को कठोर दंड से दंडित किया जावे।

10- दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का लिखित तर्क में कथन रहा है कि पुलिस के पास पुख्ता सूचना होने के बावजूद भी स्वतंत्र गवाह नहीं लिये गये। पुलिस जाब्ता मिनी सचिवालय से घटना स्थल पर रवाना हुआ था। मिनी सचिवालय में सभी कार्यालय हैं। इसके बावजूद भी किसी भी गवाह, वी-डियोग्राफर, फोटोग्राफर को साथ नहीं लिया गया। कांति मेडम के मकान की तलाशी से पूर्व किसी भी तरह का सर्च वारंट नहीं लिया गया। धारा-22 आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया गया है। पुलिस जाब्ता कालीदास कॉलोनी रोड पर कांति मेडम के मकान पर कैसे पहुंचा, जबकि मुखबिर पुलिस जाब्ता के साथ नहीं था, उसके बावजूद कांति मेडम के मकान की शिनाख्त किसने की। यह कहीं साबित नहीं है कि दानमल एएसआई. स्वतंत्र गवाह लेने कहां कहा गया। स्वतंत्र गवाह नहीं बनने पर गवाह के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। दिनांक 22.05.2016 को समूचा माल मालखाना में जमा करा दिया गया। मालखाना इन्चार्ज पी.ड-11 छोटूलाल ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि

जब भी माल मालखाना से निकाला जाता है, उसका मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज होता है। आर्मोरर के द्वारा उक्त बरामद आर्म्स का परीक्षण दिनांक 26.05.2017 को किया गया है। मालखाना रजिस्टर में आर्मोरर के पास माल जे जाने का कोई उल्लेख नहीं है। फर्द नक्शा मौका अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करता है। फर्द नक्शा मौका में कांति मेडम के मकान के बाहर खिडकी होने और पुलिस मुलजिमान के द्वारा खिडकी के बाहर खडे होने व मुलजिमान की बातें सुनना कहीं भी दर्शित नहीं किया गया है। थानाधिकारी के द्वारा गवाहान लाने हेतु दानमल को हुक्मनामा दिया गया। हुक्मनामा दिनांक 22.05.2016 को दिया गया, जबकि गवाह नहीं मिलने के संबध में रिपोर्ट दिनांक 23.05.2016 को 03 बजकर 25 मिनिट पर की गई है। उक्त प्रकरण में आरोप पत्र 30.07.2016 को पेश किया गया है। अभियोजन स्वीकृति चालान पेश करते समय पत्रावली पर नहीं थी, दिनांक 26.08.2022 को चालान प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त हुई है। मुलजिमान के विरूद्व लिया गया प्रसंज्ञान अवैधानिक है। किसी भी अभियोजन गवाहान के द्वारा भागने वाले मुलजिमान को नहीं पहचाना है और न ही भागने वाले व्यक्ति की शिनाख्त कार्यवाही कराई गई है। मुलजिम भीम सिंह के कब्जे से 60 जिन्दा कारतूस, कार्बाइन मेगजीन बरामद की गई है। 60 जिन्दा कारतूस व कार्बाइन मुलजिम की पेंट की जब में आना कतई सम्भव नहीं है। गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियोजन सन्देह से परे मामला साबित कराने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

01-(1979) ए.आई.आर (एस.सी.) पेज-1412

चतुरी यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य,

02-(2011)2 आर.सी.आर.(आपराधिक) पेज-238 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, बग्गा उर्फ बंगु बनाम हरियाणा राज्य,

03-(1954)53 डी.एल.टी.-778(1994) जे.सी.सी.696 दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली राज्य बनाम प्रेमचंद लम्बू व अन्य।

11- हस्तगत प्रकरण में अवधार्य प्रश्न यह है किः-

1-क्या दिनांक 22.05.2016 से पूर्व किसी समय अभियुक्तगण रमेश दौलतपुरिया, भीम सिंह उर्फ भीमा, शिवराज चौधरी तथा श्याम उर्फ राधेश्याम ने आपस में एक दूसरे से अपराध करने की सहमति बनाकर आपराधिक षडयंत्र कारित किया तथा दिनांक 22.05.2016 को 03.35 पी.एम. के लगभग मौजा कालीदास कॉलोनी में कांति मेडम के मकान के पास मकान में कोटा रोड स्थित पेट्रोल पम्प में लूटपाट व डकैती करने के प्रयोजन से इकट्ठे होकर डकैती करने की तैयारी की तथा मौके पर अभियुक्तगण रमेश दौलतपुरिया, भीम सिंह उर्फ भीमा तथा शिवराज चौधरी के कब्जे से बिना अनुज्ञा पत्र के एक कारबाईन मय दो मेगजीन लोडेड 25-25 कारतूस, एक 9 एम.एम. पिस्टल लोडेड 6 कारतूस, एक पिस्टल 7ण्62 एम.एम. लोडेड दो मेगजीन 6-6 कारतूस, एक रिवाल्वर .22 मय कवर लोडेड 8 कारतूस, 17 जिन्दा कारतूस .22 एम.एम., 60 जिन्दा कारतूस 9 एम.एम., 10 जिन्दा कारतूस 7.62 एम.एम., 13 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये?

2- क्या अभियुक्तगण मनोज उर्फ गौरू तथा इरफान ने उक्त जब्तशुदा हथियारों को अभियुक्तगण रमेश दौलतपुरिया, भीम सिंह

उर्फ भीमा तथा शिवराज चौधरी को बैचान किया अथवा उपलब्ध करवाया तथा उक्त अभियुक्तगण को अभियुक्तगण मनोज उर्फ गौरू, इरफान तथा रूप सिंह ने रहने व आवागमन के लिये वाहन उपलब्ध करवाया?

3-यदि हां तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दण्डित किया जावे ?

12- उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु संख्या-1 को साबित करने के लिए अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का संक्षिप्त व सुसंगत विवेचन निम्न प्रकार हैः-

13- प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह जब्ती अधिकारी पी.ड-7 हर्षराज सिंह खरेडा ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.5.2016 को उसके थाना कोतवाली झालावाड पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापन के दौरान उसे जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ शातिर अपराधी हथियारबंद स्थिति में बड़ी वारदात करने की फिराक में कालीदास कॉलोनी झालावाड में मकान में रह रहे हैं। उक्त सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर सूचना को रोजनामचे में अंकित कर मय जाब्ता थाने से रवाना होकर मिनी सचिवालय पहुंचा, जहां थानाधिकारी झालरापाटन हिरालाल सैनी व थानाधिकारी सदर श्री मनोज मय जाब्ते के उपस्थित मिले, जिनको साथ लेकर कालीदास कॉलोनी झालावाड़ कांति मेडम के मकान के पास पहुंचा व जानकारी की तो उक्त मकान में शिवराज चौधरी नामक व्यक्ति किराये से रहना पता लगा। उक्त मकान के सामने एक फोरचूनर, एक बॉलेरो व एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। उक्त मकान मुखबिर के बताये अनुसार का होने से चुपके से पास जाकर देखा तो मकान के एक मुख्य गेट होकर गेट के पास एक कमरा बना हुआ था उक्त कमरे में एक

खिडकी थी जिसके नजदीक जाकर चुपके से देखा तो कमरे के अंदर पांच व्यक्ति हथियार सहित नजर आये। खिडकी से उक्त व्यक्तियों की बातें सुनी तो उक्त व्यक्ति कोटा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप को लूटने की बातें कर रहे थे जाब्ते को मकान के चारों तरफ लगाया। खिडकी से अंदर बैठे व्यक्तियों को बाहर वर्दी में पुलिसकर्मी नजर आने से पांचों व्यक्ति मकान के दरवाजे से हथियार सहित बाहर निकलने की स्थिति में गेट के पास नजर आये। आगे के दो व्यक्ति दौडकर बाहर खडी फोरचूनर गाडी में बैठने लगे उसी दौरान पीछे के तीन व्यक्तियों को जाब्ते के सहयोग से हथियार सहित पकडा। आगे निकले दो व्यक्तियों को भी पकडने का प्रयास किया था परंतु जाब्ता मकान के चारों तरफ होने व दोडकर आकर तीन व्यक्तियों को पकडने में व्यस्त होने से दो व्यक्ति जाब्ते से धक्का मुक्की कर फोरचूनर कार में बैठकर निकल गये।

14- जब्ती अधिकारी पी.ड-7 हर्षराज सिंह खरेडा ने आगे साक्ष्य दी है कि वह मय जाब्ते के जब उक्त मकान के पास पहुंचा। कार्यवाही से पूर्व स्वतंत्र गवाह तलाश हेतु एएसआई दानमल को लिखित पत्र देकर भेजा गया था, परंतु उक्त एएसआई द्वारा आसपास तलाश करने पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने का जवाब पत्र में लिखकर पेश किया था इस पर उसने मौके पर उपस्थित हिरालाल सीआई व मनोज कुमार उपनिरीक्षक को स्वतंत्र गवाह मामूर किये थे तथा उक्त गवाहान की उपस्थिति में ही उक्त व्यक्तियों को मकान के कमरे की खिडकी से देखा एवं उनकी पेट्रोल पंप लूटने की बातें सूनी थी। उक्त पांचों व्यक्तियों में से पकडे गये तीनों व्यक्तियों के नाम पता पूछा तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम भीमा उर्फ भीमसिंह बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास ऑटोमैटिक हथियार कार्बाइन मय मैगजीन लॉडेड हाथ में मिला तथा तलाशी के दोरान पेंट की जेब में एक अतिरिक्त कार्बाइन की मैगजीन कारतूस

लॉडेडशुदा व पेंट की जेब में साठ जिन्दा कारतूस 9 एमएम मिले। उक्त कार्बाइन की मैगजीन को खोलकर कारतूस अनलोड किये तथा अतिरिक्त मैगजीन के कारतूस अनलोड किये। उक्त दोनों मैगजीन में 9 एमएम के 26-25 कारतूस मिले थे तथा शर्ट की जेब में एक मोबाइल मिला था। दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रणवीर चौधरी बताया था उक्त व्यक्ति की तलाशी के दौरान उसके पास 1.22 रिवॉल्वर मिली जिसमें 8 कारतूस लगे होकर लॉडेड स्थिति में थी, तलाशी के दौरान पेंट की जेब में 22 के 17 अतिरिक्त कारतूस व 3 मोबाईल मिले। तीसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शिवराज चौधरी बताया, तलाशी के दौरान उक्त शिवराज के पास एक पिस्टल 7.62 एमएम मिली जिसके मैगजीन लगी होकर लॉडेड थी उक्त मैगजीन के अलावा एक अतिरिक्त मैगजीन और मिली. मैगजीन का अनलोड किया तो दोनों में 6-6 कारतूस 7.62 एमएम के मिले व पेंट की जेब में 10 कारतूस 7.62 एमएम के अगल से मिले। उक्त शिवराज के पास 3 मोबाइल मिले। मौके से भागते समय दोनों व्यक्तियों को फोरचूनर में बैठने से पहले जाब्ते द्वारा भागने वालों वालों को रमेश दौलतपुरिया व श्याम उर्फ राधेश्याम मीणा के रूप में पहचान की थी। उक्त रमेश दौलतपुरिया दौडकर अपनी फोरचूनर कार में बैठने से पहले उसके हाथ से एक पिस्टल मौके पर गिर गयी थी व एक मोबाइल गिर गया था, मौके पर मिले उक्त पिस्टल व मोबाइल को चैक किया तो पिस्टल 9 एमएम की लोडेड थी। मकान के बाहर खड़े एक बोलेरा वाहन व मोटरसाइकिल के बारे पकडे गये उक्त व्यक्तियों से पूछा तो भीमा उर्फ भीम सिंह ने बोलेरो स्वयं की व शिवराज ने पल्सर मोटरसाइकिल स्वयं की होना बताया था। भीमा की उपस्थिति में उसकी बोलेरो को चैक किया तो उसमें 12 बोर के 13 जिन्दा कारतूस मिले। पकडे गये उक्त

तीनों आरोपियों से अपने कब्जे में हथियार/ कारतूस रखने के परमिट/लाइसेंस के बारे में पूछा तो अपने पास कुछ भी नहीं होना बताया।

15- जब्ती अधिकारी पी.ड-7 हर्षराज सिंह खरेडा ने आगे साक्ष्य दी है कि मौके पर गिरी हुई मिली पिस्टल/मोबाईल व मकान के बाहर खड़ी बोलेरो व पल्सर मोटरसाइकिल को जब्त किया था व मौके पर सीलचिट किया था। अभियुक्त भीमसिंह के कब्जे से मिली कार्बाइन को कपडे की थैली सीलचिट कर मार्क ए व 9 एमएम के कुल 110 जिन्दा कारतूस को प्लास्टिक की थैली में सीलचिट कर मार्क बी व मोबाइल को अन्य प्लास्टिक की थैली में सीलचिट कर मार्क सी दिया। अभियुक्त रणवीरसिह के कब्जे से मिली रिवॉल्वर को कपडे की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क डी व उसके कब्जे में मिले कुल 25 जिन्दा कारतूस 22 एमएम को प्लास्टिक थैली में रखकर मार्क ई व तीनों मोबाइल को प्लास्टिक की थैली में रखकर मार्क एफ अंकित किया। शिवराज के कब्जे में मिली पिस्टल 7.62 एमएम को कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क जी व 7.62 एमएम के कुल 22 कारतूस को प्लास्टिक की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क एच व तीनों मोबाइलों को एक प्लास्टिक की थैली में रखकर सील चिट कर मार्क आई अंकित किया। भागते समय मौके पर मिली रमेश दौलतपुरिया की कब्जेशुदा पिस्टल 9 एमएम को कपडे की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क जे व इस पिस्टल में मिले 6 जिन्दा कारतूसों को प्लास्टिक की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क के अंकित किया व मौके पर मिला मोबाइल रमेश दौलतपुरिया के को अलग थैली में रखकर मार्क एल अंकित किया। मौके पर मकान के बाहर खड़ी मिली भीमा की बोलेरो गाडी आरजे 20 यूए 1268 व शिवराज की पल्सर मोटरसाइकिल आरजे 20 एमएक्स 1722 को जब्त किया। उक्त बोलेरो में मिले 13 जिन्दा कारतूस 12 बोर को

प्लास्टिक की थैली में रखकर सीलचिट कर मार्क एम अंकित किया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही की फर्द चैकिंग व जब्ती प्र.पी-2 तैयार की थी जिस के सभी पेज पर ए से बी उसके, सी से डी ई से एफ क्रमशः गवाहान हिरालाल सैनी व मनोज सीकरवाल के हस्ताक्षर है व जी से एच, आई से जे. के से एल क्रमशः अभियुक्तगण भीमा, रणवीर व शिवराज के हस्ताक्षर हैं। उक्त फर्द पर एक्स स्थान पर पीएस कोतवाली की नमूना सील अंकित है जो उसके द्वारा मौके पर इस्तेमाल की गयी थी। उक्त फर्द पर ही थाने पर पहुंचकर मुकमदा दर्ज किया गया था, थाने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही पुलिस एम से एन है। उसके द्वारा अभियुक्त शिवराज, रणवीरसिंह, भीमसिंह को जरिए फर्द अलग अलग गिरफतार किया था जो क्रमशः प्र.पी-10, 11, 12 है जिस के सभी पेज पर ए से बी उसके व सी से डी. ई से एफ क्रमशः गवाहान हिरालाल सैनी व मनोज सीकरवाल के हस्ताक्षर है व जी से एच अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं। मौके पर बोलेरो की जब्ती बनायी जो प्र.पी-13 है जिस के सभी पेज पर ए से बी उसके व सी से डी, ई से एफ क्रमशः गवाहान हिरालाल सैनी व मनोज सीकरवाल के हस्ताक्षर है व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है। पल्सर मोटरसाइकिल अभियुक्त शिवराज की आरजे 20 एसएक्स 1722 प्र.पी-14 है जिस के सभी पेज पर ए से बी उसके व सी से डी. ई से एफ कमशः गवाहान हिरालाल सैनी व मनोज सीकरवाल के हस्ताक्षर है व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर है। स्वतंत्र गवाह तलाश हेतु जारी पत्र प्र.पी-15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। सी से डी गवाह नहीं मिलने का एन्डोर्समेंट व ई से एफ एएसआई दानमल के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जब्ती पर मुकदमा नंबर 170/16 धारा 399, 402 आईपीसी व 3/25 आर्मस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान श्री लखनलाल मीणा थानाधिकारी महिला थाना झालावाड के जिम्मे

किया था। मौके पर जब्तशुदा आर्टिकल व वाहन मैने जमा मालखाना करवाया था। गवाह ने जब्तशुदा आर्टिकल-1 लगायत आर्टिकल-13 होना कथन किया है।

16- जब्ती अधिकारी पी.ड-7 हर्षराज सिंह खरेडा ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह सही है कि उसने सर्च वारंट प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि सूचना हथियार बंद अपराधियों द्वारा बड़ी वारदात करने की थी, इसलिए उसके द्वारा सर्च वारंट में समय लगने की संभावना को मद्देनजर तुरंत मौके पहुंचकर कार्यवाही की गयी। यह सही है कि 2:35 पी.एम. पर सूचना मिलने तक सभी लोग मिनी सचिवालय पर एकत्रित हुए। उसे 2:25 पीएम पर सूचना मिली, 2:35 पर थाने से रवाना हुआ व 2:50 पीएम पर मिनी सचिवालय पहुंचा था। यह सही है कि सदर थाना का जाब्ता जिस प्राईवेट वाहन से आया, उसके नंबर उसने फर्द पर नहीं लिखे, यह सही है कि उसने प्राईवेट कार से आना ही लिखा था, अन्य कोई विवरण नहीं लिखा। यह सही है कि वह मिनी सचिवालय के गेट के बाहर से ही उक्त जाब्ते को लेकर तुरंत पहुंचने के लिए रवाना हो गया था व गेट से उसने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं लिया। यह कहना गलत है कि वह मिनी सचिवालय के अन्दर जानबूझकर नहीं गया हो और जानबूझकर गवाह नहीं लिये हो। अजखुद कहा कि सूचना गंभीर थी, इसलिए सचिवालय के गेट के बाहर से ही जाब्ते को लेकर रवाना हो गया था। यह सही है कि अभियुक्त भीमा, शिवराज व रणवीर की वक्त घटना पहनी हुई पेंट, जिनसे मैगजीन/जिन्दा कारतूस बरामद हुए वह उसने जब्त नहीं की थी। यह सही है कि सात बजे तक फोटोग्राफर/विडियोग्राफर नहीं बुलाया था। यह कहना गलत है कि भीमा ने वक्त घटना नेकर पहन रखी हो व नेकर में ही उसे पकड़ कर लायें हो। यह कहना गलत है कि जिस कांति मेडम के मकान के आसपास कई मकान हों, आसपास खाली प्लाट व कुछ मकान हो। कांति मेडम के

मकान से सटाकर कैलाश नामक व्यक्ति का मकान हो तो उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा जब उक्त कार्यवाही की गयी थी, उस समय मकान के सामने सीमेंट रोड हो, जबकि उक्त कौलोनी में उस समय रोड बना हुआ नहीं था। सामने चौडा रास्ता था। यह सही है कि कांति मेडम के मकान के सामने स्थित मकान का मुख्य दरवाजा, कमरे की एक खिडकी है। उसके द्वारा मौके पर की गयी कार्यवाही उक्त कांति बाई के मकान के गेट के पास की थी। यह कहना गलत है कि गेट पर कोई रपट बनी हो। उक्त मकान के कमरे में बनी खिडकी के बाहर की तरफ चबूतरी थी या नहीं थी, आज याद नहीं है। मकान के बाहर तीन फिट की चबूतरी बनी हो तो उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि कांति मेडम के मकान के सामने से दो गाड़ियों क्रोस नहीं कर सकती हो। कांति मेडम के मकान के आसपास कोई अमर सिंह, कैलाश, दामोदर के मकान हो, उसने कोई पूछताछ नहीं की, इसलिए याद नहीं है। यह कहना गलत है कि दिनांक 22.5.2016 को उक्त मकान वाले घरों पर हो। अजखुद कहा कि उसके द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व स्वतंत्र गवाहान के प्रयास किये गये थे, आसपास कोई व्यक्ति नहीं थे और ना ही कार्यवाही के दौरान आये थे। यह सही है कि कार्बाईन की लंबाई करीब दो फिट व वजन लगभग पांच छ किलो है। यह कहना गलत है कि शातिर अपराधियों को पुलिस द्वारा गलत पकड़कर आर्म्स एक्ट का मुकदमा लगा दिया जाता हो। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा हथियार नहीं मिलने के बाद भी व शातिर बदमाश होने की वजह से अभियुक्त बना दिया गया हो। यह कहना सही है कि उसके द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पूर्व मौके पर ही अभियुक्तगण को गिरफतार किया था व जब्ती व गिरफतारी तैयार की गयी थी। यह कहना गलत है कि उक्त ए.एस.आई. दानमल 24 घण्टे पन्द्रह मिनट बाद आया हो।

उक्त एएसआई द्वारा अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 23.5.2016 अंकित की है, जो प्र.पी-15 पर ई से एफ है। अजखुद कहा कि वह पेन स्लिप/भूलवश अंकित हो गया था, क्योंकि वापस आने का समय अन्य फर्द जब्ती पर भी उसके द्वारा अंकित किया गया था।

17- गवाह पी.ड-2 राजेश, पी.ड-4 बाबुलाल, पी.ड-8 राजेश कुमार शर्मा, पी.ड-9 दानमल, पी.ड-13 कुन्दन कुमार, पी.ड-14 हंसराज, पी.ड-15 रामरतन, पी.ड-16 हीरालाल, पी.ड-19 संदीप कुमार तथा पी.ड-20 मनोज सिंह ने अपने कथनों में पी.ड-7 हर्षराज सिंह खरेडा जब्ती अधिकारी के कथनों के अनुरूप कथन करते हुए जब्ती अधिकारी के कथनों की पुष्टि की है तथा पी.ड-9 दानमल ने मौके पर थानाधिकारी द्वारा उसे स्वतंत्र गवाह लाने का निर्देश देने तथा उसके द्वारा गवाहान की तलाश करने पर गवाह नहीं मिलने की रिपोर्ट लिखित में थानाधिकारी को देने का कथन किया है। गवाह पी.ड-2 राजेश ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि वे कोतवाली से सरकारी जीप व प्राईवेट मोटरसाईकिलो से घटनास्थल पर गए थे। प्राईवेट मोटरसाईकिलो के नम्बर उसे आज याद नहीं हैं तथा मोटरसाईकिले किसकी थी, यह भी उसे आज याद नहीं है। यह भी कहना सही है कि मिनी सचिवालय में प्रशासनिक मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनो के कार्यालय हैं। यह वह नहीं बता सकता की दबिश देने के लिए किसी मजिस्ट्रेट साहब से अनुमति प्राप्त की गई थी या नहीं। उसके सामने अनुमति बाबत कोई बात भी नहीं चली थी। पूरे जाप्ते में करीब 14 पुलिसकर्मी थे। यह कहना सही हैं कि पूरा जाप्ता एक ही रास्ते से कान्ती मेडम के मकान पर गया था। यह कहना सही है कि कान्ती मेडम के घर के बाहर करीब 15-17 फीट का रास्ता है तथा एक चौक भी है। यह कहना सही है कि कान्ती मेडम के आगे का रास्ता, ज्योतिनगर पॉवर हाउस के

पिछवाडे की दीवार होने से बन्द हैं। आज उसे याद नहीं है कि मकान के बाहर करीब ढाई तीन फिट की चबूतरी हो। लुट-पाट करने वाली बात उसने नहीं सुनी थी, सी.आई. साहब ने सुनी थी। वह पीछे खडा था। खिडकी जमीन से कितनी उंचाई पर थी, आज कन्फर्म नहीं बता सकता। स्वतः कहा कि तीन चार फिट उंपर होगी। दरवाजा बाहर की तरफ खुलता हो तो उसे आज ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया हो। उन्हें मुलजिमान ने खिडकी से देख लिया था, इसलिए वे भाग कर खुद ही बाहर आ गए थे। यह उसे आज याद नहीं है कि जाप्ते का कोई पुलिस कर्मी मकान के अन्दर प्रवेश कर गया हो। मुलजिमान ने जाप्ते के साथ केवल धक्का मुक्की की थी, किसी प्रकार की मारपीट का गनशॉट नही किया था। मुलजिमान उन्हें देखकर भागे, किस दिशा में भागे, पता नहीं है। यह कहना गलत है कि मुलजिम भीमसिंह ने हॉफ नेकर पहन रखा हो, बल्कि फुल पेंट पहन रखी थी। पुलिस जाप्ते के पास हथियार थे। यह कहना सही है कि थाने से जब हथियार लेकर जाते है तो रोजनामचे में हथियार का भी उल्लेख किया जाता है। यह उसे पता नहीं है कि मुलजिमान उनके थाने के हिस्ट्रीशीटर हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमान हिस्ट्रीशीटर होने के कारण उन्होंने उनके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाया हो। मुलजिमान द्वारा कोटा रोड स्थित पेट्रोल पम्प लुटने की सूचना थी, कौनसा पेट्रोल पम्प लुटने की सुचना थी, यह उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि भागने वाले दोनो मुलजिमान जाप्ते की गाडिया खडी थी, उसी रास्ते से निकल कर गए थे। यह कहना गलत है कि रास्ता ज्यादा चौडा ना हो, जहाँ दो गाडिया खडी हो और तीसरी निकल जाए बल्कि उस जगह बहुत बडा चौक था। उसने पहले कभी रमेश दौलतपुरिया और श्याम मीणा को गिरफ्तार नहीं किया था। भागने वाले व्यक्तियों के नाम उन्हें जाप्ते मे से ही

किसी ने बताए थे, किसने बताए थे, उसे आज याद नहीं है। यह कहना गलत है कि हथियार लावारिश अवस्था मे मिले हो। यह कहना भी गलत हैं कि उन्होंने मुलजिमान के विरूद्ध झूठा प्रकरण थाने मे बैठकर ही बनाया हो और घटनास्थल पर नहीं गए हो। पी.ड-4 बाबुलाल ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि कालीदास कॉलोनी में काफी मकान बने हुए है और मकानात में लोग भी रहते है। गाडिया अलग अलग जगह पर खडी थ, उसे पता नहीं है कि वे गाडिया और लोगों के मकान के सामने खडी हो। मकान की चौडाई उसे पता नहीं है, इसिलए वह नहीं बता सकता कि गाडिया उसी मकान के आगे थी या आगे पीछे खडी थी। आस पास के मकानात में पब्लिक रहती है। घटना स्थल कॉलोनी का आम रास्ता है, लोगबाग आते जाते रहते है। वह यह नहीं बता सकता कि तलाशी लेने से पहले आसपास के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। यह सही है कि सर्च वारंट के बिना किसी के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है, अजखुद कहा कि गंभीर सूचना थी। यह सही है कि पत्रावली पर ऐसी कोई फर्द नहीं है, जिसमें ऐसा अंकन हो कि वारंट के बिना वे अंदर घुस सकते हो। वह नहीं कह सकता कि तलाशी वारंट के बिना किसी के मकान की तलाशी लेना वैध है या अवैध है। दानमल एएसआई को समय 03.15 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु भेजा था तथा 03.25 पी.एम. पर वे वापस आये थे। वह नहीं बता सकता कि 10 मिनिट में कोई व्यक्ति घटना स्थल की कॉलोनी में घूमकर आ सकता है या नही। यह सही है कि इस रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। मकान के अन्दर सभी जाब्ता घुसा था। यह सही है कि उसके बयान प्र.डी-1 में उसने मकान के अन्दर सभी जाब्ता घुसा था, उक्त बात नहीं लिखाई है। कमरे की खिडकी खुली थी। उसने खिडकी में से अन्दर नहीं देखा था कि किसके पास क्या-क्या हथियार था। फिर वे सब कमरे में

चले गये थे। मकान के अन्दर सभी जाब्ता घुसा था, यह बात उसने झूंठी नहीं लिखाई थी, इसका अभिप्राय वह मकान के अन्दर गया था। कमरे में कौन कौन व्यक्ति कहां-कहां बैठा था, यह वह नहीं बता सकता है। मकान का गेट कितना चौडा है, उसे पता नहीं है। कमरे की लम्बाई, चौडाई उसे आज याद नहीं है। सारा जाब्ता कमरे के गेट के बाहर की तरफ खडा था। कमरे के बाहर गेट पर अगर 12-13 व्यक्तियों का जाब्ता खडा हो तो कोई व्यक्ति धक्का मुक्की होने की स्थिति में बाहर जा भी सकता है। उस समय मौके पर धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन किस किस के साथ हुई, उसे पता नहीं है। भागने वाले 02 व्यक्ति थे और उनके जाब्ते में 12-13 व्यक्ति थे। यह कहना गलत है कि उन 12-13 व्यक्तियों ने 02 व्यक्तियों को नहीं रोककर अपने कर्त्तव्य पालन में लापरवाही की हो, अजखुदा कहा कि रोकने की कोशिश की थी। अभियुक्तगण मुख्य गेट के पास वाले कमरे में बैठे थे। उसे यह नहीं पता कि उस समय मकान में घुसने का गेट एक ही हो। भागने वाले अभियुक्तगण के पीछे दानमल एएसआई, कुन्दन कानि. और रामरतन कानि. भागे थे। उक्त तीनों ने भागने वाले व्यक्तियों को नहीं पकडा था। यह सही है कि उसने खिडकी से कमरे के अन्दर नहीं देखा था। उसके अधिकारियों ने देखा था। यह सही है कि कमरे के अन्दर अभियुक्तगण क्या बातें कर रहे थे, उसने नहीं सुना। यह सही है कि उसके अधिकारियों द्वारा ही उसे अभियुक्तगण द्वारा पेट्रोल पम्प लूटने की बात पता चली थी। यह कहना सही है कि भीम सिंह की जेब से 60 जिन्दा कारतूस 9 एम.एम. के मिले थे, जो पेंट की जेब में आ सकते है। कार्बाईन मेगजीन कितनी लम्बी होती है, उसे पता नहीं है। मौके पर 9 एम.एम. के साथ मेगजीन में कितने कारतूस भरे जा सकते थे, यह उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि थाने से कहीं जाये और वापस आये तो आमद होती है। यह सही है

कि ऑटोमेटिक अनलॉक किये जाने की स्थिति में गाडी के दरवाजे नहीं खुलते है। यह सही है कि अभियुक्तगण भागे थे, उन्हें पकडने की कोशिश उसने भी की थी। यह सही है कि वे 12-13 लोगों के 02 व्यक्ति बस में नहीं आये, अजखुद कहा कि धक्का मुक्की करके भाग गये थे। यह सही है कि अभियुक्तगण को पहले से नहीं जानता था। उसे भागने वाले अभियुक्तगण का नाम रमेश और राधेश्याम जाब्ता से पता चला था, जाब्ते के किस व्यक्ति ने नाम बताये थे, उसे पता नहीं है। वह यह नही बता सकता कि भागते हुए अभियुक्त रमेश उर्फ राहुल के पास से पिस्टल उसकी जेब से गिरी थी या उसके हाथ से गिरी थी। यह कहना गलत है कि उसने सी.आई के कहने पर झूठे हस्ताक्षर थाने में ही किये हो। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई हो। उनके कमरे में घुसने के करीब 10 मिनिट बाद ही अभियुक्तगण भागे थे। अभियुक्तगण ने गाडियों के ऑटोमेटिक दरवाजे खोले और भाग गये थे। उसने अभियुक्तगण का पीछा नहीं किया था। अजखुद कहा कि बाहर तक तो पीछा किया था, आगे पीछा नहीं किया था। पी.ड-8 राजेश कुमार शर्मा ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि दिनांक 22.05.2016 को हर्षराज सिंह जी ने उसे तीन बजे के लगभग अपने साथ चलने को कहा। उसके अलावा दानमल एएसआई, रामरतन कानि., कुन्दन कानि. हेमेन्द्रपाल कानि. को अपने साथ चलने को कहा था। उसने हथियार थे या नहीं आज ध्यान नहीं है। यह सही है कि सामान्यतः शातिर बदमाशान को पकडने जाते है तो हथियार साथ ले जाते है। कालीदास कॉलोनी में किस किस का मकान है, वह यह नहीं जानता है। कालीदास कालोनी में कांति मेडम का मकान उसे पता नहीं था। वे थार गाडी में कुल सात आदमी थे। अजखुद कहा कि वह गाडी से उतरा नहीं था। यह सही है कि कुल तेरह चौदह आदमी घटना स्थल

पर पहुंचे थे। पहुंचने का समय वह अंदाजे से भी नहीं बता सकता है। कालीदास कालोनी में कांति मेडम का मकान कितना बडा होगा, इसका भी उसे अंदाजा नहीं है। उसे यह भी ध्यान नहीं है कि कांति मेडम के मकान के पास गाडिया एक के बाद एक पहुंची हो। उसे सिर्फ मुल्जिमान की एक गाडी फोरचूगर के रंग का मालूम है। पल्सर का रंग काला था। उसे यह भी नहीं पता कि कांति मैडम के मकान के पहले व बाद में क्या था। यह उसे ध्यान नहीं कि काति मेडम के मकान का रंग क्या था। कांति मेडम के मकान के सामने क्या था, आज उसे ध्यान नहीं है। कांति मेडम के मकान के बाद क्या था, उसने ध्यान नहीं दिया था। वे पुलिस वाले झुंड में खड़े थे, उसी झुंड में दानमल जी खड़े थे। पुलिस कर्मीयों का झुंड कांति मेडम के मकान के गेट पर खड़ा हुआ था। कांति मेडम के मकान के सामने ऐसी क्या चीज है, जिस पर पुलिस कर्मी खड़े हो, हो सकता है वे हवा में खड़े हों। कांति मेडम के मकान का दरवाजा कौनसे रंग का था, उसे ध्यान नहीं हैं। कांति मेडम के मकान की, खिडकी कितनी बड़ी थी, उसके बाहर जाली लगी थी या नहीं ओर खिडकी मकान के सामने थी या साईड में थी व खिडकी बंद थी या खुली आज उसे ध्यान नहीं। अजखुद कहा कि सारी चीजें आई.ओ. साहब ही बता सकते हैं। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमान की बाते नहीं सुनी हो, वह आपस में लुटपाट की बात कर रहे थे। यह बात उसने-लगभग चार पांच मीटर की दूरी से सुनी थी। यह सही है कि जब उसने बातें सुनी, तब वे सभी पुलिसकर्मी साथ ही खड़े थे। यह सही है कि जो उसने सुना, वही सभी ने सुना था। मुल्जिमान कितनी जोर से बातें कर रहे थे, उसे नहीं पता, लेकिन सुनने योग्य बातें कर रहे थे। प्रश्न-क्या आपने कांति मेडम के घर के चबूतरी देखी या नहीं? उत्तर-उसने ध्यान नहीं दिया, अजखुद कहा कि इसका विवरण जब्ती कर्ता

अधिकारी दे सकता है। प्रश्न जब आप ने बातचीत सुनी, तब हर्षराज सिंह, मनोज सीआई, हिरालाल सैनी किस जगह खड़े थे? उत्तर- वे सब पुलिस वाले कांति मेडम के मकान पर खड़े थे, यह ध्यान नहीं है कि कौन कहां खड़ा था, बस इतना ध्यान है कि सारे इकट्ठे खड़े थे। प्रश्न-क्या किसी ने कांति मेडम के मकान का दरवाजा तोडा था? नहीं यह उसे ध्यान नहीं है। अजखुद कहा कि नहीं तोडा था। प्रश्न क्या आप बता सकते हैं कि कांति मेडम के मकान का दरवाजा केसे खुला? यह उसे ध्यान नहीं है। अजखुद कहा कि कार्यवाही करने वाले अधिकारी ही बता सकते हैं। प्रश्न- इसका मतलब यह है कि आपने दरवाजा खुलते हुए नहीं देखा? उत्तर-यह सही है कि उसने दरवाजा खुलते हुए नहीं देखा। यह कहना सही है कि उसने कमरे के अंदर झांका नहीं था। यह सही है कि कमरे के अन्दर कितने आदमी है, उसने नहीं देखा था। अजखुद कहा कि पुलिसकर्मी के दरवाजा खोलने के बाद पता चला कि पांच आदमी थे। पी.ड-9 दानमल ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि उसने आसपास गवाहान की तलाश की थी। उसने आसपास दामोदर व अमरसिंह से गवाह बनने के लिए कहा था। उसने गवाह बनने के लिए लिखित में नोटिस नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि उत्तर दिशा में कोई मकान नहीं हो, खाली प्लाट हो। अजखुद कहा कि खाली प्लाट के बाद में मकान है। यह सही है कि दामोदर व अमरसिंह के खिलाफ गवाह नहीं बनने के लिए कोई पुलिस कायर्वाही नहीं की थी। मौके पर कायर्वाही के दौरान लगभग एक घण्टा लगा था। वह मौके पर एक घण्टे के लगभग ही रुका था। नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन का है। नक्शा मौका घटना के दिन नहीं बना था, दूसरे दिन आई.ओ. ने बनाया था। यह कहना गलत है कि मौके पर तीन आदमी मिले हो, बल्कि पांच आदमी मिले थे। सभी मुल्जिमान ने पेंट, शर्ट व टीशर्ट अलग अगल पहन रखी थी।

यह कहना गलत है कि वहां पर दो गाडी क्रोस नंही कर सकती हों, बल्कि रास्ता चौडा था। उन्होंने आवाज लगाई व पूछताछ की तब पता पड़ा कि यह दामोदर का मकान है। यह कहना गलत है कि वह इसलिए नहीं बता सकता कि उसने किसी को धक्का देते हुए नहीं देखा हो और रमेश दौलतपुरिया व श्याममीणा नामी अपराधी है, इसलिए मुल्जिम बनाया हो। वे लोग मिनीसचिवालय 2:50 पी.एम. पर इक्टठा हो गये थे। यह सही है कि वहां से ना तो सर्च वारंट लिया और ना ही किसी को गवाह बनने के लिए किसी को कहा था। उसके पास तो कोई हथियार नहीं था व दो के पास एसएलआर थी, जो समय अधिक होने से उसे उनके नाम याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान बदमाशान होने से उनको झूंठा मुल्जिम बना दिया हो। पी.ड-13 कुन्दन कुमार ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि पूरे जाप्ते में करीब 10-12 आदमी थे। वे तीन चार वाहनों से घटना स्थल पर पहुंचे थे, जिसमें मोटर साईकिले भी थी। यह कहना गलत है कि घटनास्थल के सामने रोड करीब 12 फीट का हो, बल्कि करीब 25 फीट का है। यह कहना सही है कि मौके पर पहुंचने के दो ही आम रास्ते हो। सारा जाप्ता एक ही रास्ते से मौके पर पहुंचा था। वह आज यह नहीं बता सकता की कान्ती बाई के मकान की साईज क्या है। यह कहना सही है कि कान्ती मेडम के मकान में घुसने का एक ही दरवाजा है। कान्ती बाई के मकान का दरवाजा लगभग 8-9 फिट का बडा लोहे का गेट हैं। गेट कितना चौडा है उसकी साईज के संबंध में नक्शे मौके में अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि कान्ती मेडम के मकान के बाहर वाले कमरे में एक खिडकी है। खिडकी जमीन से कितनी उंची है, यह उसकी जानकारी में नहीं हैं। कान्ती मेडम के मकान के अगल बगल में खाली प्लाट है। पेट्रोल पम्प लुटने की बात सुनकर मकान के दरवाजे से अन्दर जाप्ते का

कोन पुलिस कर्मी गया, आज उसे याद नहीं है। वह तो नहीं गया था। जब उन्होंने बात सुनी, उस समय कांति मेडम के मकान का मुख्य दरवाजा खुला था या बंद था, यह उसे आज याद नहीं है। मुलजिमान जब भागने लगे तो उनके द्वारा किसी प्रकार की फॉयरिंग नहीं की थी, केवल धक्का मुक्की की थी। मुलजिमान जब वहां से फोरचूनर कार से भागे थे। फोरचूनर कार का मुंह वे जिधर से आए थे, उसी दिशा में था। जब मुलजिम भागे तो पुलिस जाप्ते के वाहन को क्रोस करके तिराहे से भागे थे। पी.ड-14 हंसराज ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि उसके द्वारा मुलजिमानों के वाहन चैक नहीं किए गए कि वह लॉक थे या अनलॉक। यह कहना गलत है कि फोरचूनर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खडी हई हो। फोरचूनर का मुंह दक्षिण दिशा में था। जाब्ते के अन्य वाहन घांसीलाल के मकान की पूर्वी दिशा की तरफ खडे हुए थे। कान्ती मेडम के मकान के सामने वाला रोड आगे की तरफ बंद हो जाता हो तो उसे पता नहीं है। कान्ती मेडम के मकान का गेट दो से ढाई फिट का हो, बिल्क वह करीब दस फिट का था। कान्ती मेडम के मकान का गेट खुला हुआ था और जाब्ता सीधा अन्दर पहुंच गया था। मुलजिमान ने किसी के उपर फायरिंग नहीं की थी, धक्का मुक्की हुई थी। इस धक्का मुक्की में किसी भी पुलिस वाले के कोई चोट नहीं आई थी। मुलजिम जब भागे तो उसने उन्हें पकडने का प्रयास नहीं किया, उनके हाथ में हथियार थे। यह कहना गलत है कि जाब्ते के वाहन बेतरतीब खडे होने के बावजूद भी मुलजिम अपना वाहन निकाल कर ले गये। रातरतन और एक दो कानि. और भी थे, जो प्राईवेट वाहन से फोरचूनर गाडी का पीछा करने गये थे। जाप्ते में से तीन लोग वाहन से पीछा करने गये थे। एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति थे और प्राईवेट वाहन पर दो तीन कानि. थे। यह कहना सही है कि जो वाहन मौके पर खडे थे और जिस वाहन से

मुलजिम भागे, उनके क्या नम्बर है, उसे आज याद नहीं है। यह कहना सही है कि वह सरकारी जीप के पास खडा था, मौके पर जाब्ता गया था, वह नहीं गया। पी.ड-15 रामरतन ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मौका स्थल पर पहुंचने के लिये सारा जाब्ता अपनी अपनी गाडियां तिराहे पर खडी करके मौके पर पहुंचा। यह कहना सही है कि मौका स्थल पर वाहनों की आवक जावक कम ही रहती है। यह कहना गलत है कि वे जब मौके पर पहुंचे तो फोरचूनर वाहन आगे मुंह करके खडा हो, बल्कि वे गये, उसी तरफ उसका मुंह था। पूरी जाब्ता में वे चालक सहित करीब 14 पुलिसकर्मी थे। उसका बिट हाउसिंग बोर्ड नहीं है। मौका स्थल पर जो मकान कान्ती मेडम का था, वह उसे सी.आई. साहब ने बताया था। कान्ती मेडम के मकान की लम्बाई-चौडाई, उसे आज याद नहीं है। कान्ती मेडम के मकान के बाहर एक खिडकी थी। खिडकी जमीन से करीब तीन फिट उंचाई पर थी, पूरा कन्फर्म याद नहीं है। जब वे मौके पर पहुंचे तो कान्ती मेडम के मकान का दरवाजा अन्दर से बंद था या खुला था, उसे आज याद नहीं है। मुलजिमान जो कमरे में बात कर रहे थे, यह बात पूरे जाप्ते ने खिडकी के पास खड़े होकर सुनी थी। कान्ती मेडम के मकान के अन्दर प्रवेश करने के लिए उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि उन्हें देखकर वे खुद ही बाहर आकर भगने लगे। पूरे जाप्ते मे से कोई भी मकान के अन्दर नहीं घुसा था। यह कहना सही है कि सभी मुलजिमान के पास हथियार थे। यह कहना सही है कि मुलजिमान ने भागते हुए जाप्ते के उपर फायरिंग नहीं की थी. ना ही मुलजिमान ने किसी भी पुलिस वाले के साथ मारपीट की थी, केवल धक्का मुक्की की थी। उनके द्वारा मौके पर जो वाहन खड़े हुए थे, उनको चेक नहीं किया गया था कि वह लॉक थे या अनलॉक थे। यह कहना सही है कि दो मुलजिमान कान्ती मेडम के

मकान से निकले और फोरचूनर गाडी को अनलॉक किया, स्टार्ट करके वहां से भाग गए। मुलजिमान जब भागे तब सीआई साहब ने उसे, दानमल जी एसआई साहब तथा कुन्दन जी को रवाना किया था, मुलजिमान का पीछा करने के लिए। जैसे ही मुलजिमान भागे वे वैसे ही मोटरसाईकिलों से उनका पीछा करने के लिए निकल गए थे। वे तीनों उस समय मौका स्थल छोड़ चुके थे। यह कहना सही है कि मौका स्थल के आस पास रिहायशी मकान है। स्वतंत्र गवाह बनने के लिए किन किन लोगो ने मना किया, यह वह नहीं बता सकता। मौके पर फोरचूनर के अलावा अन्य जो वाहन खड़े थे, उनके नम्बर आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि वह थाना कोतवाली में 10 साल रहा है। यह कहना भी सही है कि इन दस सालों में किसी भी पेट्रोल पम्प पर कोई लुट की वारदात नहीं हुई। यह कहना गलत हैं कि वह मौके पर नहीं गया हो और उच्चाधिकारियों के कहने पर उसने थाने पर ही हस्ताक्षर कर दिए हो। पी.ड-16 हीरालाल ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह बात सही है कि भीम सिंह और रमेश दौलतपुरिया को राजस्थान पुलिस कुख्यात अपराधी मानती थी। यह कहना गलत है कि राजस्थान पुलिस जब कुछ नहीं मिलता तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा बना देती है। यह बात सही है कि प्राईवेट वाहन लेकर जाये तो उसका इन्द्राज रोजनामचे में करना पडता है। यह भी सही है कि पत्रावली पर ऐसा कोई रोजनामचा पेश नहीं है, न रोजनामचे में इन्द्राज किया गया है। यह सही है कि उसने आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे बनाए है। उसने आज तक कभी आर्म्स एक्ट के लिये वारंट नहीं लिया। प्र.पी-2 पर मुकदमा नम्बर जो लिखा हुआ है, वह फर्द बनाते समय नहीं लिखा गया था, बाद में लिखा गया है। प्र.पी-2 किसने लिखा तथा कहा लिखा, उसे याद नहीं है। फिर कहा कि मौके पर लिखा था। प्र.पी-2 टेबल पर बैठकर नहीं लिखा

गया था। हाथ में तख्ती लेकर दीवार पर सहारे लगाकर लिखा गया था। यह कहना गलत है कि सीधी दीवार पर तख्ती लगाकर लिखा जाए तो लिखावट में वेयरिंग आती हैं। प्र.पी-2 के सभी 13 पृष्ठ तख्ती दीवार के सहारे लगाकर ही लिखे गए है। फर्द जब्ती प्र.पी-2 करीब 3:30 बजे लिखना शुरू किया था तथा समय 7:00 बजे तक लिखा गया था। प्र.पी-2 हर्षराज सिंह जी ने स्वयं ने अपने हाथ से लिखी था। यह सही है कि लोडेड मेग्जीन जो उसने जेब मे मिलना बताया है, वह लगभग 11 इन्च लम्बी होती है। उसे याद नहीं की भीमा ने कौनसी पेंट पहन रखी थी। यह कहना सही है कि पेंट की ग्यारह इन्च लम्बी जेब नहीं होती है, लेकिन आधी मेग्जीन अन्दर व आधी बाहर भी रह सकती है। यह कहना सही है कि उसने अपने बयानों में यह नहीं बताया कि आधी मेग्जीन बाहर लटक रही थी। यह सही है कि वह खबर मिलने के बाद भी घातक हथियारों से लेस अपराधी बैठे है, उन्होंने थाने से हथियार नही लिए, उसके पास उसकी पिस्टल थी। यह कहना सही है कि किसी भी मुलजिमान ने उनके उपर हथियार नहीं चलाया था। उसने घटनास्थल वाली जो गली है, वह आगे जाकर बिजली विभाग की दिवार से बंद हो रही हो तो उसने नहीं देखा। यह बात सही है कि मकान का दरवाजा तथा खिडकी गली के सामने की तरफ खुलती है। यह कहना गलत है कि वह मौक पर नहीं गया हो, इसलिए उसे याद नहीं हो कि खिडकी के आगे चबूतरी बनी हो। उसे याद नहीं है कि खिड़की के आगे दस फीट लम्बी व डेढ फीट चौडी चबूतरी बनी हो। यह सही है कि घटनास्थल मकान के सामने एक खाली जगह थी। घटनास्थल के आस पास मकान थे, पर वहां कौन रहता था, उसे आज याद नहीं है। साढे तीन बजे से शाम को सात बजे तक वह मौके पर ही रुका रहा। यह कहना गलत है कि मौके पर किसी भी पड़ोसी को ना बुलाया हो, बल्कि बुलाया था

परन्तु कोई नहीं आया। बुलाने के लिए दानमल ए.एस.आई. गया था। यह कहना गलत है कि घटनास्थल के सामने वाली सडक से दो गाडियां क्रोस नहीं हो सकती हो। मकान की खिडकी बंद थी, लेकिन उसके गेट के मध्य के गेप से अन्दर का नजर आ रहा था। मकान पर कौनसा कलर हो रहा था, यह उसे याद नहीं है। खिड़की पर कौनसा कलर हो रहा था, यह भी उसे याद नहीं है। यह कहना सही हैं कि मौके पर ना तो फोटोग्राफर को और ना ही वीडियोग्राफर को बुलाया गया था। कोटा वाले रास्ते से कालीदास कॉलोनी वाले रास्ते पर पक्की कॉलोनिया हैं। गवाह बनने को कई लोगो से रास्ते में कहा था, परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। गवाह बनने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों का नाम उसे आज याद नहीं है। यह उसे याद नहीं है कि मकान का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था या अन्दर की तरफ खुलता था। यह सही है कि पुलिस जाप्ते में 15-16 व्यक्ति थे। 4 फुट का दरवाजा था। फिर भी दो व्यक्ति भाग गए थे। वह रमेश दौलतपुरिया तथा राधेश्याम मीणा को पहले से नहीं जानता था। यह सही है कि रमेश दौलतपुरिया घोषित अपराधी था, जिसका रिकॉर्ड सारे थानों में भेजा जा चुका था। जिस रास्ते से वे गए, उस रास्ते में मौका स्थल से पूर्व सुरेन्द्र सिंह राजपूत तथा घांसीलाल तथा अमरसिंह जी का मकान हो तो उसे पता नहीं है। यह सही है कि मुलजिमान की जो गाडिया बाहर खड़ी थी, उनको उनके पजेशन में नहीं लिया था। यह भी सही है कि मुलजिमान भागते समय किसी गाडी से नहीं टकराए थे। मुलजिमान की बाते उसने सुनी थी। उसके पास हर्षराज सिंह जी तथा मनोज खड़ा था। सबसे पहले एक्जेक्ट क्या बात हुई, वह नहीं बता सकता। फिर कहा कि पेट्रोल पम्प को लुटने की चर्चा चल रही थी। पांच व्यक्तियों में चर्चा चल रही थी, जिनमे एक व्यक्ति बोल रहा था। किस किस व्यक्ति ने क्या-क्या बोला, यह उसे आज याद नहीं है। यह कहना

गलत है कि उसे इसलिए याद ना हो, क्योंकि उसने कोई चर्चा नहीं सुनी हो। यह कहना सही है कि मौके पर कोई कॉर्टून या बोरा नहीं मिला था। जाप्ते के सभी वाहन मकान से 10-15 मीटर पहले खड़े करे थे। पी.ड-19 संदीप कुमार ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि सदर थाने से उनके चार लोगों का जाप्ता रवाना हुआ था। उनके आने के दो पांच मिनट बाद ही हर्षराज जी सीआई साहब मय जाप्ता व हिरालाल जी थानाधिकारी, थाना पाटन मय जाप्ते के पहुंचे थे। पूरा जाप्ता सरकारी जीप में ही था। तीन सरकारी जीपे थी, इसके अलावा और कोई प्राईवेट वाहन हो तो आज उसे ध्यान नही है। यह कहना सही है कि उक्त दबिश का सर्च वारण्ट किसी मजिस्ट्रेट से प्राप्त नही किया था। वह यह नहीं बता सकता की कान्ती मेडम के मकान के बाहर कितनी फिट रोड़ पर आम रास्ता है। यह कहना गलत है कि कान्ती मेडम के मकान का मुख्य गेट 2-3 फिट का हो, बल्कि 5-6 फिट का था। मुख्य दरवाजा दोनो तरफ खुलता है। मकान के अन्दर की तरफ कमरों व गेट व खिडकिया था, जो मकान के अन्दर की तरफ ही खुलती थी। यह कहना सही है कि मुख्य दरवाजे के अलावा बाहर की तरफ कोई खिडकी नहीं थी। जिस रास्ते वे गए, वह रास्ता आगे बंद होता हो या खुला रहता हो, वह यहाँ तक नही गया, इसलिए वह नहीं बता सकता। उन्होंने खिडकी में से सुना था कि पेट्रोल पम्प लुटने की बात कर रहे थे। कौनसा मुलजिम क्या बोल रहा था, यह नहीं बता सकता, परन्तु कोटा रोड पर पेट्रोल पम्प लुटने की बात कर रहे थे। किस पेटोल पम्प को लूटने की बात कर रहे थे, वह नहीं बता सकता है। कान्ती मेडम के मकान के बाहर एक फोरचूनर, एक बोलरो व एक प्लसर मोटरसाईकिल खडी हुई थी। जाते वक्त जाप्ते में से किसी ने भी फोरचूनर वाहन को खोलकर चेक नहीं किया कि वाहन का गेट खुला है या बंद है। पूरा जाप्ता एक साथ अन्दर घुसा था। मुलजिमानो

ने जाप्ते के किसी भी व्यक्ति पर कोई हमला नही किया। मुलजिम भागने लगे तब सभी जाप्ते ने पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से दो व्यक्ति जो भागे थे, उनके पीछे प्राईवेट वाहन से दानमल जी एसआई साहब, कुन्दन जी, राजेश गए थे। प्राईवेट वाहन मोटरसाईकिल थी। यह उसे आज ध्यान नहीं है कि मोटरसाईकिल कौन चला रहा था तथा मोटरसाईकिल के नम्बर भी आज मुझे ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि कार्यवाही के दौरान किसी फोटोग्राफर या विडियोग्राफर को नहीं बुलाया था। यह कहना गलत है कि मकान के अन्दर से कोई व्यक्ति भागे और फोरचूनर गाडी स्टार्ट कर भागे। यह कहना गलत है कि पुलिस की गाडियों के पास से दूसरी गाडी निकलने जितनी जगह नहीं हो। मुलजिम भीमसिंह की जेब से जो 60 कारतूस मिले थे, वे लगभग 2 सेमी लम्बे थे। वह नही बता सकता की पेंट की जेब कितनी लम्बी रहती है। उसे उसकी पेंट की जेब की लम्बाई भी ध्यान नहीं है, टेलर बता सकता है। यह कहना गलत है कि 2 से.मी. के 60 कारतूस किसी की पेंट की जेब में ना आ सकते हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो और न ही उसके सामने कोई गिरफ्तारी व जप्ती की गई हो। यह कहना भी गलत है कि वह उच्चाधिकारियों कहने पर प्रकरण में झूठा गवाह बना हो। पी.ड-20 मनोज सिंह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उस दिन की रवानगी रपट पत्रावली पर आज उपलब्ध नहीं है। यह कहना सही है कि जब हम सदर से मिनी सचिवालय पहुंचे तब वहाँ कोतवाली का जाप्ता पहले से मौजूद था। मैंने मेरे साथ में एक पिस्टल व दस राउण्ड लिए थे। यह कहना सही है कि मैंने अपने बयानों में एक पिस्टल व दस राउण्ड वाली बात नहीं लिखवाई थी। यह कहना सही है कि मिनी सचिवालय झलावाड में जिला कलेक्टर एवं एसडीएम व एडीएम साहब के कार्यालय नौजूद है। यह कहना सही

है कि जाप्ता में मौजूद किसी भी अधिकारी ने एसडीएम या एडीएम त्ताहब से तलाशी बाबत् वारण्ट हेतु सम्पर्क नहीं किया। सम्पूर्ण जाप्ता मिनी सचिवालय से घटनास्थल पर एक ही सस्ते से गरता था। यह कहना सही है कि घटनास्थल के बाहर रोड है जो करीब 20-25 फीट का है। यह कहना सही है कि छ टिनास्थल पर पहुंचने का एक ही मार्ग है। घटनास्थल वाले मकान से थोड़ी दूरी पर रिहायशी मकानात है। यह कहना सही है कि मकान का दरवाजा बारह की तरफ खुलता है। उक्त नकान में बाहर की तरफ एक ही दरवाजा है तथा जो बाहर की तरफ कमरा है उसमें एक खिडकी है। यह उसे आज ध्यान नही है कि खिड़की जमीन से कितनी फिट की ऊंचाई पर होगी। आज उसे ध्यान नहीं है कि खिडकी लौहे की थी या लकड़ी की थी। खिडकी के बाहर जाली वाला गेट लगा हुआ था। जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, उस वक्त खिड़की खुली हुई थी। यदि मकान और रोड के बीच में डेढ फिट की चबूतरी बनी हुई हो तो आज उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि किस व्यक्ति के हाथ में क्या हथियार था, यह उसने अपने बयानों में नहीं बताया था। सारा जाप्ता दरवाजा खोलकर घुस गया था। वह भी अन्दर घुसा था। यह कहना सही है कि जब मुलजिमान भागे तब उन्होंने पुलिस वालों पर हथियार का प्रयोग नहीं किया था। यह कहना सही है कि जाप्ते में करीब 12-13 लोग थे। यह कहना सही है कि सारा जाप्ता मकान के अन्दर प्रवेश कर गया था। जब मुलजिमान भागे, उनकी बाहर जो गाडी खड़ी हुई थी, वह लोक थी। मुलजिमान के कमरे से निकल कर बाहर खड़ी अपनी गाडी को अनलॉक कर भागने में करीब 2 मिनट का समय लगा था। यह कहना सही है कि मुलजिमान की गाडी जो बाहर खडी थी, उसकी दिशा और उनके वाहनों की दिशा विपरित थी। यह कहना सही है कि बाद में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उनकी पहचान नहीं

करवाई थी। यह आज उसे याद नहीं है कि भागे मुलजिमान का जाप्ते में से किस-किस ने पीछा किया था। स्वतः कहा कि कोतवाली के जाप्ते में से किसी ने किया था। जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए थे, उन्होने पेंट शर्ट पहन रखे थे। यह कहना सही है कि मौके पर जो जप्ती की कार्यवाही की गई थी, उसकी फोटोग्राफी नहीं करवाई थी। कार्बाइन के मेग्जीन की कितनी लम्बाई थी, वह पत्रावली देखकर बता सकता है। यह कहना गलत है कि उक्त मुलजिमान जिले के हार्डकोर क्रिमिनल होने के कारण इनके उपर झूंठा मुकदमा बनाया हो। यह कहना सही है कि उक्त मुलजिमान में से कौन व्यक्ति पेट्रोल पम्प लुटने के बारे में बोल रहा था, आज याद नहीं है।

18- पी.ड-3 रामगोपाल ने कथन किया है कि दिनांक 26.05.2017 को उसके पुलिस लाईन, झालावाड में आर्मोरर के पद पर पदस्थापन के दौरान हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा 09 पैकिट मार्क ए,बी,डी, ई,जी, एच,जे,के,एम मेकेनिकल परीक्षण हेतु हेमेन्द्रपाल सिंह कानि. द्वारा लेकर आने पर उसके द्वारा परीक्षण करने पर पैकिट मार्क ए में एक स्टेनगन कार्बाईन मशीन थी, जिसके सभी पार्टस सही हालत मे थे, जो चालू हालत में होकर फायर आर्म्स की परिभाषा में आती है। दो मेगजीन जिसकी केपेसिटी 34 राउण्ड थी, पैकिट मार्क बी में 9 एम.एम. के 110 कारतूस जिंदा हालत में थे, पैकिट मार्क डी में एक रिवाल्वर 22 बोर, एक सिलेण्डर 8 राउण्ड वाला होकर चालू हालत में थे, जो फायर आर्म्स की परिभाषा में आते है। पैकिट मार्क ई में 25 कारतूस 22 बोर के थे, जो एम्यूनेशन की परिभाषा में आत है। पैकिट मार्क जी में एक पिस्टल 7.62 एम.एम. मय 2 मेगजीन थी, जो चालू हालत में होकर फायर आर्म्स की परिभाषा में आते है। पैकिट मार्क एच में 22 नग की कारतूस जिंदा थे, जो एम्यूनेशन की परिभाषा में आते है। पैकिट मार्क जे में एक पिस्टल 9

एम.एम. थी, जो चालू हालत में होकर फायर आर्म्स की परिभाषा में आते है। पैकिट मार्क के में 6 कारतूस 9 एम.एम. के थे, जो जिंदा अवस्था में होकर एम्यूनेशन की परिभाषा में आते है। पैकिट मार्क एम में 12 बोर के 13 कारतूस जिंदा अवस्था में थे, जो एम्यूनेशन की परिभाषा में आते है। बाद परीक्षण सभी पैकिटों को सीलचिट कर हेमेन्द्रपाल सिंह को संभलाये थे। गवाह ने मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्र.पी-3 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। उक्त गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि एम्यूनेशन की परिभाषा में यह है कि जिस हथियार में कारतूस लोड होता है, उसे व्यवहारिक रूप से एम्यूनेशन कहते है। यह कहना सही है कि दीवाली के त्यौहार पर मिलने वाले खिलोनों में भी कारतूस रखा जाता है और चिंगारी निकलती है। यह कहना सही है कि जब तक कारतूस को खोला नहीं जाता है, यह नहीं बताया जा सकता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है। यह कहना सही है कि जब तक प्रोजेक्टाईल में बारूद नहीं हो, तब तक वह हथियार की श्रेणी में नहीं आता है। यह कहना सही है कि उसने जिन भी हथियारों के बारे में बताया है, उन्हें देखकर ही बताया है। यह कहना सही है कि किसी भी हथियार के बेरल की मोटाई नहीं नापी गई थी, अजखुद कहा कि देखकर ही अंदाजा लगाया था। यह सही है कि प्र.पी-3 में नाप किये जाने के संबंध में हवाला नहीं है। यह सही है कि प्रोजेक्टाईल के बेक की पावर का भी उल्लेख प्र.पी-3 में नहीं है। यह कहना सही है कि जो कारतूस व हथियार मिले थे, उनको वक्त परीक्षण चलाकर नहीं देखा था। यह सही है कि प्र.पी-3 हथियारों को देखकर तैयार की है, किसी प्रकार का कोई भौतिक व वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया था। यह कहना गलत है कि वह पुलिस विभाग का कर्मचारी होने के कारण उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध झूंठा प्रकरण बनाये जाने में मदद करने हेतु यह रिपोर्ट बनाई हो।

19- पी.ड-6 दिलीप कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 08.06.2016 को पुलिस थाना सदर पर कानि के पद पर पदस्थापन के दौरान हस्तगत प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुलजिम रमेश दोलतपुरिया द्वारा अनुसंधान अधिकारी लखनलाल मीणा को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में स्वेच्छापूर्वक दी गयी सूचना के अनुसरण में कस्बा झालरापाटन में चलकर इरफान अली का रिहायशी मकान दिखाया था और उसी मकान में इरफान अली से पिस्टल व कारतुस लेना बताया था। जिसका फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्र.पी-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में वांछित अभियुक्त इरफान अली को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्र.पी-5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन रमेश दोललपुरिया ने अनुसंधान अधिकारी को दी गयी सूचना के अनुसरण में दुर्गपुरा रोड़ पर बने व्हाईट हाउस रेस्टोरेंस झालावाड में सोफे पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते बताया था कि यह मनोज उर्फ गोरु यादव है, जिसने उसे 0.22 रिवोल्वर व कारतुस दिये थे। कमरा न० 02 की तस्दीक भी करवायी थी, जिसमें रमेश दोलतपुरिया ठहरा था। फर्द तस्दीक प्र.पी-6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिस पर मौके के हालात का वर्णन कर नक्शा मौका बनाया गया है। मौके पर मनोज यादव को प्रकरण में वांछित होने से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्र.पी-7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 09.06.2016 को उक्त प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुलजिम इरफान अली निवासी बरडी के चबुतरे के पास झालरापाट द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर उनके आगे-आगे चलकर अपने रिहायशी मकान के पास बाहर खड़ी स्विफट कार सफेद रंग की तस्दीक करवायी थी और बताया था कि इसी कार से रमेश

दोलतपुरिया को झालरापाटन से झालावाड़ व उज्जैन लेकर गया था जिसको अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण हाजा में बतौर वजह सबूत जरिये फर्द प्र.पी-8 जब्त करने तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प.पी-9 बनाने का कथन किया है। उक्त गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि किसी भी अभियुक्त ने उसके सामने कोई सूचना नहीं दी थी। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गयी सूचना के बारे में उसे थानाधिकारी लखनलाल जी मीणा ने बताया था। यह कहना सही है कि इरफान अली के मकान के आस-पास काफी मकानात है, जिसमें लोग रहते है। इरफान अली के मकान के पास काफी बस्ती है। वह इरफान अली को पहले से नहीं जानता था। इरफान अली का मकान होने के बारे में जानकारी अभियुक्त रमेश ने ही दी थी। वह रमेश दोलतपुरिया को पहले से नहीं जानता था। इरफान अली के मकान में कितने कमरे थे, उसे ध्यान नहीं है। इरफान अली के घर पर 7-8 फिट चोड़ा लोहे का गेट है। बाहर से देखने पर घर के अंदर दिखायी नहीं देता है। उस समय मकान में परिवार के लोग व महिलाये थी। इरफान अली के मकान के सामने किराने की दुकाने है। यह कहना सही है कि उस समय घर में मौजुद परिवार के लोगो को वक्त कार्यवाही नहीं बुलाया था। उसके सामने थानाधिकारी ने व्हाईट हाउस का कोई रजिस्टर जब्त नहीं किया था। यह कहना सही है कि दिनांक 09.06.2016 से पहले थानाधिकारी लखनलाल मीणा मय जाब्ता इरफान अली के घर पर जा चुके थे। यह कहना सही है कि दोनो दिनाकों में की गयी कार्यवाही के वे दोनो पुलिस कर्मी ही गवाह है। यह कहना सही है कि होटल में मैनेजर व अन्य कार्य करने वाले लोग भी थे। यह कहना गलत है कि होटल वालो को स्वतंत्र गवाह बनने के लिये नहीं कहा हो। अज खुद कहा कि कहा तो था, लेकिन स्वतंत्र गवाह नहीं बने।

20- पी.ड-10 लाजपत ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.06.2016 को उसके पुलिस थाना असनावर में कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान महफूज खांन, थानाधिकारी, असनावर द्वारा उसके समक्ष स्कार्पियो एच.आर.-60-ई-9609 को जरिये फर्द प्र.पी-22 जब्त करने तथा इस पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हुए प्रदर्शित करवाया है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि झाझरा मोहल्ला देहरादून छुटपुट आबादी के रूप में बसा हुआ है। यह कहना गलत है कि जब्ती की कार्यवाही के समय आसपास लोग जमा हो गये थे। यह कहना सही है कि वाहन जब्ती में किसी स्वतंत्र आदमी को गवाह नहीं बनाया।

21- गवाह पी.ड-1 हेमन्त ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.06.2016 को उसके ए.टी.एस. यूनिट, कोटा में कानि. के पद पर पदस्थापन के दौरान हस्तगत प्रकरण में मदन सिंह, निरीक्षक, ए.टी.एस., कोटा द्वारा उसके तथा हरिनारायण के समक्ष अभियुक्त राहुल उर्फ रमेश दौलतपुरिया को देहरादून से जरिये फर्द प्र.पी-1 गिरफ्तार किया था, जिस पर गवाह ने ए से बी अपने हस्ताक्षर होना कथन किया है। **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि उन्होंने मुलजिम को उसके मकान के आगे से झाझरा कस्बे में गिरफ्तार किया था। जिस मकान के आगे से मुलजिम को गिरफ्तार किया, वह किस का मकान था, उसे पता नहीं।

22- पी.ड-11 छोटूलाल ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 22.05.16 को उसके पुलिस थाना कोतवाली झालावाड में मालखाना इन्चार्ज के पद पर पदस्थापन के दौरान हस्तगत प्रकरण में हर्षराज सिंह एसएचओं द्वारा जब्त किए हुए पैकेट मार्क ए, बी, सी. डी, ई. एफ. जी. एच. आई, जे, के एल. व एम शील्डशुदा लाकर दिए व एक बोलेरो व एक पल्सर मोटरसाईकिल एक कार

फॉरच्यूनर तथा एक स्वीफ्ट कार सभी आर्टिकल को जमा मालखाना किया था। मालखाना रजिस्टर के 269 दिनांकित 22.05.2016 पर जमा किए थे मालखाना रजिस्टर प्र.पी-19 है, जिस पर ए से बी हर्षराज जी खरेडा के हस्ताक्षर सी से डी मेरे माल जमा करने का इन्द्राज व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मालखाने में कोई भी माल जमा होने के बाद यदि मालखाने से बाहर जाता है, तो उसका इन्द्राज आवश्यक रूप से रजिस्टर में होता है।

23- पी.ड-12 शिशुपाल सिंह ने साक्ष्य दी है कि वह देहरादून का रहने वाला होकर स्कूल की गाडी चलाता है। उसका एक निजी मकान इन्दापुरी झांझरा में हैं जो खाली था। इस मकान को उसने नवम्बर 2015 में किर्ती खण्डेलवाल को 6000 महीने पर किराये पर दिया था। उसके मकान में किर्ती खण्डेलवाल का एक लडका व लडकी भी साथ रह रहे थे। उसने किर्ती खण्डेलवाल से मकान किराये का एग्रीमेंट भी करवाया था। दो ढाई महीने बाद वहा एक आदमी आकर रहने लगा था, जिसने अपना नाम रामू अग्रवाल बताया था। उसने उससे पूछा था तो उसने उसे बताया था कि उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, इसलिए वह बाहर रहता है। वह दो ढाई महीने में दो चार दिन के लिए ही घर आता था। पुलिस ने उसके किराये के एग्रीमेंट की फोटोप्रति ली थी जिस पर उसने उसके हस्ताक्षर कर पुलिस को दी थी जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अभियुक्तगण को अवसर दिये जाने के बावजूद कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

24- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध थानाधिकारी पी.ड-7 हर्षराज सिंह की साक्ष्य के अनुसार दिनांक 22.05.2016 को थाना कोतवाली, झालावाड के पद पर पदस्थापन के दौरान 02.25 पी.एम. पर कालीदास कॉलोनी में स्थित मकान में शातीर अपराधी हथियारबंद स्थिति में हथियारबंद होने की सूचना मिलने पर उसने थानाधिकारी, झालरापाटन और सदर थानाधिकारी को सूचित करते हुए उक्त दोनो थाने के जाब्ता के साथ मिनी सचिवालय में आने का बोला तथा वहां से वह मय जाब्ता के कालीदास कॉलोनी, झालावाड में कांति मेडम के मकान पर पहुंचा। थानाधिकारी के द्वारा पुख्ता सूचना होने के बावजूद भी मिनी सचिवालय से या रास्ते से किसी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह बनने हेतु साथ लेने का कोई प्रयास किया गया हो, ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जबकि रास्ते से अथवा मिनी सचिवालय से स्वतंत्र गवाह आसानी से लिये जा सकते थे। साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना स्थल के आस-पास आबादी, मकानात है। फर्द नक्शा मौका प्र.पी-21 के अनुसार भी घटना स्थल के आस-पास कौशल शर्मा, कैलाश शर्मा, दामोदर शर्मा, सुरेन्द्र सिंह राजपूत, अमर सिंह के मकान है। उसके बावजूद भी आस-पडौस में से किसी को भी गवाह नहीं रखा गया। थानाधिकारी के द्वारा दानमल पी.ड-9 एएसआई को हुक्मनामा प्र.पी-15 लेकर गवाह लेने हेतु भेजा गया, परन्तु उसके द्वारा भी आस-पडौस से किसी गवाह को नहीं बुलाया गया। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने आस-पास दामोदर तथा अमर सिंह को गवाह बनने के लिये बुलाया था, लेकिन गवाह बनने हेतु लिखित में नोटिस नहीं दिया। गवाह नहीं बनने पर उसके द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि थानाधिकारी के द्वारा गवाह दानमल को

प्र.पी-15 हुक्मनामा दिनांक 22.05.2016 को 03.15 पी.एम. पर गवाह लाने हेतु दिया गया था। दानमल एएसआई. के द्वारा हुक्मनामा प्र.पी-15 में सी से डी भाग में यह उल्लिखित किया है कि आस-पास गवाह की तलाश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिये नहीं मिला। जबकि आस-पास मकान थे। अतः उक्त गवाह द्वारा स्वतंत्र गवाह बनाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया, औपचारिकता निभाई गई है। उक्त गवाह द्वारा दिनांक 23.05.2016 को 03.25 पी.एम. पर उक्त रिपोर्ट पेश करना प्र.पी-15 में उल्लिखित है। पी.ड-9 दानमल प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि प्र.पी-15 पर ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर है और तारीख 23.05.2016 लिखी हुई है। इस प्रकार दानमल के द्वारा हुक्मनामा पर गवाह नहीं मिलने की रिपोर्ट दूसरे दिन प्रस्तुत की है। जबकि थानाधिकारी के द्वारा जाब्ता में से उसी दिन मोतबिर गवाह मामूर कर कार्यवाही की गई है। यद्यपि थानाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिनांक 23.05.2016 सहवन से लिखी जाना कथन किया है, परन्तु गवाह पी.ड-9 दानमल अपने सशपथ कथनों में कहीं पर भी दिनांक 23.05.2016 सहवन से लिखी जाना कथन नहीं करता है, बल्कि दिनांक 23.05.2016 लिखी जाना स्वीकार किया है। उक्त परिस्थिति सन्देह उत्पन्न करती है। इस प्रकार थानाधिकारी के द्वारा पुख्ता सूचना होने के बावजूद भी मिनी सचिवालय में समस्त कार्यालय होने पर वहां से स्वतंत्र गवाह आसानी से प्राप्त किये जा सकते थे, इसके बावजूद भी थानाधिकारी के द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह को साथ लेकर जाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। घटना स्थल के आस-पास आबादी मकान होने के बावजूद भी किसी भी मकान से किसी भी गवाह को उक्त कार्यवाही में साथ नहीं लिया। पी.ड-9 दानमल के द्वारा केवल आस-पास दामोदर व अमर सिंह को गवाह बनने के लिये कहना कथन किया है, जबकि

आस-पास कैलाश, सुरेन्द्र सिंह, कौशल शर्मा का भी मकान था। उनको गवाह बनने हेतु नहीं कहा गया। उनको गवाह बनने के लिये कहा गया हो तो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। थानाधिकारी के पास पुख्ता सूचना होने के बावजूद भी थानाधिकारी के द्वारा वीडियोग्राफर तथा फोटोग्राफर को भी साथ नहीं लिया गया। स्वतंत्र गवाह तलब करने के संबंध में अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह विश्वसनीय प्रकृति की नहीं है। यह अभियोजन कहानी पर सन्देह उत्पन्न करती है।

25- अभियोजन कहानी के अनुसार मुलजिमान डकैती करने के प्रयोजन से वहां उपस्थित थे तथा घटना स्थल के मकान के मुख्य गेट के पास कमरा बना हुआ है। उक्त कमरे में खिडकी थी, जिसके नजदीक जाकर चुपके से देखा तो कमरे के अन्दर पांच व्यक्ति हथियार सहित नजर आये। थानाधिकारी व अन्य जाब्ता के द्वारा छिपाव करते हुए खिडकी से उक्त व्यक्तियों की बातें सुनी तो कोटा रोड पर स्थित पेट्रोल पम्प लूटने की बातें कर रहे थे। फर्द नक्शा मौका प्र.पी-21 में मकान में कहीं पर भी खिडकी नहीं दर्शाई गई है तथा थानाधिकारी तथा जाब्ता के द्वारा किस स्थान पर खडे होकर मुलजिमान की बातें सुनी, यह भी कहीं दर्शाया नहीं गया है। पुलिस जाब्ता व थानाधिकारी की साक्ष्य के अनुसार पुलिस जाब्ता के द्वारा मुलजिमान को देखा जाना बताया है। अपराध करने के लिये एकत्रित हुए मुलजिमान रोड पर नजर नहीं रखेंगे और पुलिस कर्मियों के उनके नजदीक पहुंचने तक उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं होगा, यह कतई विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अपराध करने वाले व्यक्तियों के संबध में सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति भी यही निष्कर्ष निकालेंगा कि ऐसे व्यक्ति आस-पास की गतिविधियों के बारे में सतर्क रहेगे। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया है कि मौके पर खिडकी थी या नहीं थी। खिडकी

खुली थी तो मुलजिमान को पुलिस जाब्ता का किसी भी तरह का कोई आभास नहीं होना सन्देह उत्पन्न करता है। अभियोजन साक्ष्य से यह साबित है कि कमरे की खिडकी खुली थी। कमरे की खिडकी खुली होने के बावजूद भी पुलिस मुलाजिमान की उपस्थिति का मुलजिमान को आभास नहीं होना सन्देह की स्थिति उत्पन्न करता है। पी.ड-2 रमेश प्रतिपरीक्षण में मुलजिमान के द्वारा पुलिस जाब्ता को खिडकी से देखकर आना कथन करता है। पी.ड-4 हेमेन्द्रपाल सिंह जिरह में कमरे की खिडकी खुली होना व सारा जाब्ता कमरे के गेट के बाहर खडा होना कथन करता है। पी.ड-14 हर्षराज सिंह घटना स्थल पर कांति मेडम का गेट खुला होना व जाब्ता एक साथ सीधा अन्दर जाना कथन करता है। पी.ड-5 बाबुलाल ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस मुलाजिमान के खिडकी के पास होने पर मुलजिमान को आभास हो गया था, मुलजिमान भागे। पी.ड-8 राजेश ने 4-5 मीटर दूरी से मुलजिमान की बाते सुनना व सभी पुलिस जाब्ता एक साथ खडा होना प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, जो लगभग असंभव है। खिडकी खुली होने के बावजूद पुलिस मुलाजिमान का मुलजिमान को आभास न होना और उनकी बाते सुनना कतई संभव प्रतीत नहीं होता है। गवाहान के कथनों में इस संबंध में गंभीर विरोधाभास है कि मौके पर खिडकी थी या नहीं। खिडकी थी तो खुली थी या बन्द थी। फर्द नक्शा मौका प्र.पी-21 में घटना स्थल पर किसी भी तरह की खिडकी को दर्शाया नहीं गया है और न ही खिडकी खुली या बन्द होना दर्शाया गया है। अतः पुलिस मुलाजिमान के द्वारा खिडकी के बाहर खडे होकर मुलजिमान की बात सुनना कतई साबित नहीं है।

26- अभियोजन कहानी के अनुसार घटना स्थल पर मकान के सामने एक फोरचूनर, एक बोलेरो तथा एक मोटर साईकिल खडी थी। खिडकी के

अन्दर बैठे व्यक्तियों को पुलिस कर्मी नजर आने से पांचों व्यक्ति मकान के अन्दर से हथियार सहित बाहर निकले। आगे के दो व्यक्ति दोडकर बाहर खडी फोरचूनर गाडी में बैठकर भाग गये। इसी दौरान पीछे के तीन व्यक्तियों को जाब्ता के द्वारा पकडा गया। मुलजिमान की मौके पर संख्या-5 थी और पुलिस जाब्ता की कुल संख्या 13-14 के लगभग थी। अभियोजन के अनुसार मुलजिमान के पास हथियार थे। मुलजिमान आपराधिक पृष्ठभूमि के थे और मुलजिमान डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे और पुलिस जाब्ता के पास भी हथियार थे, इसके बावजूद भी केवल मात्र धक्का मुक्की करके अभियुक्तगण बाहर खडी फोरचूनर में बैठकर भाग जावे, पुलिस जाब्ता के द्वारा पकड नहीं आवे और भागते समय एक अभियुक्त की राईफल मौके पर गिर जावे और अन्य तीन अभियुक्त बिना किसी प्रतिरोध के पुलिस के काबू में आ जावे, मुलजिमान के द्वारा किसी पुलिस कर्मी पर घातक आर्म्स होते हुए भी कोई हमला नहीं किया हो और और बिना किसी प्रतिरोध के पुलिस के काबू में आ जाये, यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। घटना स्थल के बाहर कितने फिट की रोड थी, फर्द नक्शा मौका प्र.पी-21 में यह कहीं दर्शाया नहीं गया है। इस संबंध में गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। पी.ड-2 रमेश प्रतिपरीक्षण में कांति मेडम के मकान के बाहर घटना स्थल पर 15-16 फिट चौडा रोड होना बताता है। पी.ड-4 हेमेन्द्र पाल सिंह हेड कानि. प्रतिपरीक्षण में 30-40 फिट चौडी रोड होना बताता है। पी.ड-13 कुन्दन घटना स्थल के बाहर 25 फिट चौडा रोड होना बताता है। पी.ड-14 हंसराज घटना स्थल के आगे की रोड 10-12 फिट चौडी होना बताता है। पी.ड-16 हीरालाल सेनी घटना स्थल घर के आगे 30 फिट चौडा रोड होना बताता है। अतः अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया है कि घटना स्थल के बाहर कितने

फिट चौडा रोड था। 14 पुलिस कर्मी हथियारों सहित मौके पर होते हुए भी दो मुलजिमान घटना स्थल से फोरचूनर गाडी में बैठकर भाग जाये, यह कतई विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। जबकि घटना स्थल पर चौडा रोड नहीं था। दो गाडी आराम से निकल जाये, इतना चौडा रोड भी नहीं था। पी.ड-2 राजेश घटना स्थल पर बहुत बडा चौक होना बताता है, जबकि प्र.पी-21 फर्द नक्शा मौका में घटना स्थल पर कोई बडा चौक होना नहीं दर्शाया गया है और न ही अन्य किसी गवाह ने घटना स्थल पर बडा चौक होना बताया है। फर्द नक्शा मौका में एक्स-1 स्थान पर मोटर साईकिल एक्स-2 स्थान पर फोरचूनर, एक्स-3 स्थान पर बोलेरो खडी होना बताता है। उक्त दोनो वाहन पास पास खडे होना दर्शाया गया है। फर्द नक्शा मौका में दर्शायी स्थिति अनुसार फोरचूनर वाहन को लेकर जाना, जो बोलेरो के पास चिपकी हुई अवस्था में खडी थी, असंभव प्रतीत होता है। फर्द नक्शा मौका प्र.पी-21 व गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। जिस जगह मुलजिमान भागे, वहां भागने का एक ही रास्ता है। आगे पॉवर हाउस से रास्ता बन्द होना साक्ष्य से साबित है। ऐसी परिस्थिति में घटना स्थल जहां पर फोरचूनर गाडी, बोलेरो गाडी तथा एक मोटर साईकिल हो और पुलिस मुलजिमान के वाहन रखे हो, फोरचूनर गाडी का अभियुक्त के द्वारा घुमाकर लेकर भागना कतई संभव प्रतीत नहीं होता है। उक्त परिस्थितियां अभियोजन कहानी पर गंभीर सन्देह उत्पन्न करती है। मौके पर से दो व्यक्ति भागना बताया है, परन्तु उक्त व्यक्तियों की पहचान किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं है। किसी भी अभियोजन गवाहान के द्वारा भागने वाले व्यक्तियों को नहीं पहचाना है और न ही मौके से भागे दो व्यक्तियों की शिनाख्त कार्यवाही पुलिस मुलाजिमान से कराई गई है। उक्त स्थिति भी सन्देह उत्पन्न करती है।

27- अभियोजन कहानी के अनुसार मौके पर पकडे गये व्यक्ति भीम सिंह की तलाशी लेने पर उसके पास ऑटामेटिक कार्बाइन मय लोडेड मेगजीन के मिली और तलाशी के दौरान उसकी पेंट की जेब में एक अतिरिक्त कार्बाइन की मेगजीन कारतूस लोडेड शुदा तथा पेंट की जेब में से 60 जिन्दा कारतूस 9 एम.एम. के मिले। अभियुक्त की पेंट की जेब से कार्बाइन मेगजीन और 60 जिन्दा कारतूस 9 एम.एम. के मिलना सन्देह उत्पन्न करता है। थानाधिकारी पी.ड-7 हर्षराज सिंह कार्बाइन की लम्बाई 2 फिट और वजन 5-6 किलोग्राम होना बताता है। मोतबिर गवाह हीरालाल सैनी पी.ड-16 ने प्रतिपरीक्षण में लोडेड मेगजीन जो भीमा की जेब से जब्त होना बताया है, वह लगभग 11 इंच लम्बी बताया है। अतः इतनी लम्बी कार्बाइन पेंट की जेब में आना कतई सम्भव 9 नहीं है। पी.ड-16 हीरालाल सेनी प्रतिपरीक्षण में आधी मेगजीन अन्दर और आधी बाहर होना बताता है। यह भी स्वीकार करता है कि पेंट की जेब 11 इंच लम्बी नहीं होती है। जबकि उक्त गवाह प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि उसने अपने पुलिस बयान में यह नहीं बताया था कि आधी मेगजीन बाहर लटक रही थी। किसी भी अभियोजन गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह कहीं कथन नहीं किया है कि भीमा की जेब में आधी मेगजीन अन्दर और आधी बाहर थी। फर्द जब्ती प्र.पी-2 में भी यह कहीं उल्लिखित नहीं है कि भीमा की जेब में आधी मेगजीन अन्दर थी और आधी बाहर थी। अतः मुलजिम की पेंट की जेब से 2 फिट व 5-6 किलो वजनी कार्बाइन का मिलना सन्देह उत्पन्न करता है। मुलजिम भीमा की जेब में 60 जिन्दा कारतूस मिलना भी सम्भव प्रतीत नहीं होता है। पी.ड-19 संदीप कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियुक्त भीम सिंह की जेब में से 60 जिन्दा कारतूस मिले थे, जो 2 से.मी. लम्बे थे। 2 से.मी. लम्बे कारतूस मुलजिम की पेंट की जेब में आना कतई

सम्भव प्रतीत नहीं होते है। पी.ड-19 संदीप कुमार प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि वह नहीं बता सकता कि पेंट की जेब कितनी लम्बी रहती है। उसकी पेंट की जेब कितनी लम्बी है, नहीं बता सकता, टेलर बता सकता है। यह कहना गलत है कि 2 से.मी. कारतूस पेंट की जेब में नहीं आ सकता हो। अतः पी.ड-19 संदीप कुमार के कथन कतई विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। अतः मुलजिम भीमा के कब्जे से की गई बरामदगी पूर्ण रूप से सन्देहास्पद प्रतीत होती है।

28- जहां तक अभियुक्त शिवराज चौधरी के कब्जे से बरामदगी का प्रश्न है, उसके कब्जे से एक पिस्टल 7.62 एम.एम. लोडेड, जिसमें 6 कारतूस पेंट की पीछे की तरफ पेंट की आड में छिपाई हुई, पेंट की दांयी जेब में से लोडेड मेगजीन 6 कारतूस व 10 जिन्दा कारतूस व शर्ट की जेब से तीन मोबाईल बरामद किये गये। उक्त स्थिति में अभियुक्त का बैठना लगभग असंभव है। लोडेड मेगजीन 6 कारतूस व 10 जिन्दा कारतूस पेंट की जेब में आना भी संभव सा प्रतीत नहीं होता है। अतः शिवराज सिंह चौधरी के कब्जे से भी बरामदगी सन्देहास्पद प्रतीत होती है।

29- अभियोजन कहानी के अनुसार पुलिस मुलाजिमान के घटना स्थल पर पहुंचने पर मुलजिमान पुलिस मुलाजिमान को देखकर कमरे से बाहर निकले और भागने का प्रयास करने लगे, परन्तु तीन हथियार बन्द बदमशाान को पकडा और दो बदमाशान धक्का मुक्की कर बाहर खडी फोरचूनर कार से भाग गये, जबकि इस संबंध में अभियोजन गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। पी.ड-2 रमेश प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि मुलजिमान पुलिस मुलाजिमान को खिडकी से देखकर खुद ही बाहर आये थे, जबकि पी.ड-4 हेमेन्द्र पाल सिंह मकान के अन्दर सभी जाब्ता घुसना कथन करता है।

पी.ड-5 बाबूलाल प्रतिपरक्षण में कथन करता है कि पुलिस जाब्ता का खिडकी के पास खडे होने पर मुलजिमान को आभास होने पर मुलजिमान ने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, कोई भी पुलिस जाब्ता कमरे के अन्दर नहीं गया। पी.ड-7 रामगोपाल जिरह में पुलिस कर्मी द्वारा घटना स्थल मकान का दरवाजा खोलना बताता है। अतः अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि मुलजिमान भीम सिंह, रणवीर सिंह व शिवराज चौधरी को मकान के अन्दर से पकडा या मकान के बाहर से पकडा। मुलजिमान के पास घातक हथियार लोडेड होते हुए बिना किसी प्रतिरोध के पकडा जाना भी सन्देह उत्पन्न करता है। इस संबंध में गवाहान के कथनों में विरोधाभास है कि मुलजिमान को घर के अन्दर जाकर पकडा या मुलजिमान स्वंय पुलिस जाब्ता को देखकर बाहर आये। मुखबिर की इत्तिला के आधार पर कालीदास कॉलोनी रोड पर कांति मेडम के मकान पर पुलिस जाब्ता गया था, परन्तु मौके पर आबादी होने से कांति मेडम के मकान को किसने पहचाना, अभियोजन, साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि मुखबिर पुलिस जाब्ता के साथ गया हो और मुखबिर के द्वारा पुलिस मुलाजिमान को कांति मेडम का मकान जहां पर मुलजिमान छिपे हुए थे, डकैती की योजना बना रहे थे, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः पुलिस मुलाजिमान के द्वारा किस आधार पर कालीदास कॉलोनी रोड पर कांति मेडम के मकान की शिनाख्त की गई है, अभियोजन यह तथ्य साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि कांति मेडम के मकान पर जाने के लिये दो रास्ते थे, लेकिन पुलिस मुलाजिमान कालीदास कॉलोनी रोड पर कांति मेडम के मकान पर किस रास्ते से गया। इस संबंध में गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। पी.ड-2 रमेश अपने सशपथ कथनों में पुलिस जाब्ता पूरा

एक ही रास्ते गावडी का तालाब हाउसिंह बोर्ड से घटना स्थल पर पहुंचना बताता है। पी.ड-15 रामरतन प्रतिपरीक्षण में पूरा जाब्ता एक ही रास्ते से घटना स्थल पर पहुंचना बताता है। पी.ड-16 हीरालाल सेनी अपने सशपथ कथनों में कालीदास कॉलोनी वाले रास्ते से घटना स्थल पहुंचना बताता है। पी.ड-14 हर्षराज सिंह पूरा जाप्ता एक साथ रवाना नहीं होना, अलग-अलग जाना कथन करता है, जबकि पी.ड-13 कुन्दन कुमार सारा जाब्ता एक ही रास्ते से गावडी के तालाब, हाउसिंग बोर्ड होता हुआ मौके पर पहुंचना कथन करता है। यह भी स्वीकार करता है कि मौके पर पहुंचने के दो ही रास्ते है। इस प्रकार पुलिस मुलाजिमान का मिनी सचिवालय से घटना स्थल पर पहुंचने के रास्ते के संबंध में भी गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन कहानी पर सन्देह उत्पन्न करता है। अभियोजन साक्ष्य से यह भी साबित नहीं है कि कांति मेडम के मकान का मुख्य दरवाजा कितने फिट का था। इस संबंध में गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। कांति मेडम के मकान के बाहर कमरे में खिडकी खुली थी या बन्द थी, जमीन से कितने फिट पर थी, किस प्रकार पुलिस मुलाजिमान के द्वारा मुलजिमान की बाते सुनी, इस संबंध में भी अभियोजन गवाहान के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन के द्वारा उक्त स्थिति को साबित नहीं किया गया है। उक्त स्थिति अभियोजन कहानी पर गंभीर सन्देह उत्पन्न करती है।

30- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी.ड-16 हीरालाल सैनी प्रतिपरीक्षण में मौके पर समस्त 5 कार्यवाही तीन घंटे दीवार के सहारे तख्ती लगाकर करना बताता है, जबकि थानाधिकारी हर्षराज सिंह खरेडा अपने सशपथ कथनों में यह कहीं भी कथन नहीं करता है कि उसके द्वारा प्र.पी-2 फर्द जब्ती दीवार के सहारे तख्ती लगाकर मुर्तिब की गई हो। तीन घंटे दीवार पर तख्ती

लगाकर फर्द मुर्तिब करना कतई संभव प्रतीत नहीं होता है। उसमें लिखावट में वेवलिंग की सम्भावना रहती है, जो फर्द जब्ती प्र.पी-2 में कहीं भी प्रकट नहीं होती है। अतः उक्त तथ्य भी अभियोजन कहानी पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

31- मालखाना इन्चार्ज के कथनों व आर्मोरर की रिपोर्ट में गंभीर विरोधाभास है। मालखाना इन्चार्ज पी.ड-11 छ्रूटूलाल ने अपने सशपथ कथनों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 22.05.2016 को ही सभी आर्टिकल को जमा मालखाना किया था। मालखाना रजिस्टर के क्रमांक-269 दिनांक 22.05.2016 पर जमा किया था। मालखाना रजिस्टर प्र.पी-19 है, जिसकी प्रमाणित प्रति प्र.पी-19 ए है, जिस पर ए से बी हर्षराज सिंह के, सी से डी उसके माल जमा का इन्द्राज तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर होना स्पष्ट रूप से कथन किया है। जिरह में कथन किया है कि मालखाना में कोई माल जमा होने के बाद यदि मालखाना से बाहर जाता है तो उसका इन्दाज आवश्यक रूप से मालखाना रजिस्टर में होता है। दिनांक 22.05.2016 को माल जमा होने के बाद दिनांक 18.08.2016 को ही एफएसएल जयपुर भिजवाया गया था। इसके अलावा माल मालखाना से बाहर नहीं गया था। जबकि पी.ड-3 रामगोपाल आर्मोरर ने अपने सशपथ कथनों में दिनांक 26.05.2017 को हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल को हेमेन्द्र पाल सिंह कानि. द्वारा लेकर आना कथन किया है। इस पर उसके द्वारा परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-3 तैयार की थी। दिनांक 26.05.2017 को उक्त मालखाना जब मालखाना इन्चार्ज के द्वारा दिया ही नहीं गया तो हेमेन्द्रपाल किस प्रकार उक्त मालखाना को लेकर आर्मोरर के पास गया। आर्मोरर के द्वारा कौन से हथियारों का परीक्षण किया गया, जबकि मालखाना इन्चार्ज पी.ड-11 छोटूलाल ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 22.05.2016 को मालखाना में माल जमा हुआ, उसके बाद दिनांक

18.08.2016 को ही एफएसएल भेजा गया था, इसके अलावा माल मालखाना से कहीं बाहर ही नहीं गया, जब दिनांक 22.05.2016 से दिनांक 18.08.2016 तक माल मालखाना से बाहर ही नहीं गया, तब पी.ड-3 रामगोपाल आर्मोरर के द्वारा दिनांक 26.05.2017 को किस प्रकार मालखाना में जब्त माल का परीक्षण किया गया। अतः आर्मोरर की परीक्षण रिपोर्ट सन्देहास्पद है। मालखाना रजिस्टर व आर्मोरर की रिपोर्ट में गंभीर विरोधाभास है। अतः उपर्युक्त विवेचन व विष्लेषण अनुसार अभियोजन कहानी पूर्ण रूप से सन्देहास्पद प्रतीत होती है। थानाधिकारी, झालरापाटन हीरालाल सैनी भी प्राईवेट वाहन से थानाधिकारी, कोतवाली, झालावाड के साथ मय जाब्ता घटना स्थल पर गया था, परन्तु थानाधिकारी, झालरापाटन की मय जाब्ता के रवानगी/आमद रोजनामचा रपट साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कराई गई है। पी.ड-16 हीरालाल सैनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि प्राईवेट वाहन से जाये तो उसका इन्द्राज रोजनामचा में करना पडता है। उक्त गवाह द्वारा स्वीकार किया है कि पत्रावली पर ऐसा कोई रोजनामचा नहीं है न ही रोजनामचा में इन्द्राज किया गया है। पी.ड-20 मनोज सिंह, थानाधिकारी, थाना सदर, झालावाड अपने सशपथ कथनों में स्वीकार करता है कि उस दिन की घटना स्थल पर जाने की रवानगी रोजनामचा रपट पत्रावली पर नहीं है। उक्त स्थिति भी सन्देह उत्पन्न करती है।

32- दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा न्यायिक दृष्टांत चतुरी यादव व अन्य बनाम बिहार राज्य, 1979 ए.आई.आर. पेज-1412 प्रस्तुत किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया है कि मुलजिमान का किसी स्थान पर एकत्रित होना और उनके कब्जे से कारतूस व शस्त्र बरामद होने से यह नहीं माना जा सकता है

कि वह डकैती के प्रयोजन से उपस्थित हुए है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है कि-Mere nocturnal presence, weapons, and cartridges insufficient proof under Sections 399/402 IPC without showing assembly/preparation for dacoity.

A. Penal Code, 1860 (IPC) - Section 399 and 402 - Assembling for purpose of committing dacoity and preparing to commit dacoity Proof Mere presence of accused persons at a lonely place at odd hours of night, some being armed with weapons and cartridges, without further evidence showing assembly for purpose of committing dacoity or preparation to commit it, is not sufficient to sustain conviction under Sections 399 and 402 Inadmissible evidence of alleged statements of accused excluded from consideration. (Paras 4,5)

33- अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत राजेश बनाम हरियाणा राज्य में माननीय हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णित किया है कि-A. Criminal Law Penal Code, 1860 (IPC) Sections 399/402 Preparation to commit dacoity / Assembly for dacoity Conviction based solely on police testimony Necessity of independent witnesses - Failure to join independent public witnesses despite sufficient opportunity (police presence for four hours on a busy road after receiving prior information) creates doubt on prosecution's version.

B. Criminal Law - Penal Code, 1860 (IPC) - Sections 399/402 - Material Discrepancies regarding Contradictions in Official Witness

Testimony duration of police presence at the site, sequence of weapon recoveries, and rejoining of a Constable are considered material contradictions, particularly when all prosecution witnesses are police officials, leading to doubt on the prosecution case हस्तगत प्रकरण में भी पुलिस मुलाजिमान के पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी, आस-पास में आबादी मकान होने के बावजूद भी स्वतंत्र गवाह को नहीं रखा गया है। पुलिस मुलाजिमान के बयानों में घातक हथियारों की बरामदगी के संबंध में गंभीर विरोधाभास है।

34- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन स्वीकृति अनुसंधान अधिकारी से प्रदर्शित करवाई गई है। अभियुक्तगण के विरूद्व धारा-7/25 आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित किया गया है। अभियोजन स्वीकृति प्र.पी-47 में केवल 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत ही अभियोजन स्वीकृति दी गई है। धारा-7/25 आर्म्स एक्ट में अभियोजन चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है। प्रकरण में मुलजिमान के विरूद्व आरोप पत्र दिनांक 30.07.2016 को प्रस्तुत किया गया है, जबकि अभियोजन स्वकृति प्र.पी-47 दिनांक 26.08.2016 को जारी की गई है। धारा-39 आर्म्स एक्ट के प्रावधानानुसार बिना पूर्व अभियोजन स्वीकृति के किसी व्यक्ति के विरूद्व अभियोजन संस्थित नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में बिना अभियोजन स्वीकृति के दिनांक 30.07.2016 को मुलजिमान के विरूद्व अभियोजन संस्थित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। मुलजिमान के कब्जे से बरामद हथियार जिस स्थिति में मुलजिमान के कब्जे से बरामद किये गये, उक्त स्थिति में अभियुक्तगण के पास हथियार मिलना सन्देहास्पद प्रतीत होता है। समस्त गवाहान को बचाव पक्ष के द्वारा यह सुझाव

दिया गया है कि मुलजिमान आपराधिक प्रवृत्ति के होने से लावारिस मिले हथियारों को अभियुक्तगण से जोडकर मुलजिमान को प्रकरण में संलिप्त किया गया है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जिस स्थिति में मुलजिमान के कब्जे से हथियारों की बरामदगी करना बताया गया है, उस स्थिति में अभियुक्तगण के पास हथियार मिलना असम्भव सा प्रतीत होता है। अतः इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मुलजिमान को लावारिस पडे हथियारों के साथ उक्त अपराध में संलिप्त किया गया है।

35- अतः उपर्युक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर अभियोजन सन्देह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि मुलजिम रमेश दौलतपुरिया, शिवराज चौधरी, श्याम उर्फ राधेश्याम ने आपस में योजना बना-कर आपराधिक षडयंत्र कारित किया हो और उक्त मुलजिमान कांति मेडम के मकान पर कोटा रोड स्थित पेट्रोल पम्प पर डकैती के प्रयोजन से इकट्ठा हुए हो। मुलजिमान के कब्जे से जिस स्थिति में हथियारों की बरामदगी बताई गई है, उस स्थिति में उनके कब्जे से हथियार मिलना असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में बिन्दु संख्या-1 अभियोजन सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियोजन अभियुक्तगण रमेश दौलतपुरिया, भीम सिंह, शिवराज चौधरी के विरूद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-399,402,120 भा.दं.सं. व धारा-3/25, 7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त श्यामा उर्फ श्याम मीना के विरूद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-399,402,120बी भा.दं.सं. सन्देह से परे साबित करा पाने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या-2-

36- प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.ड-18 लखनलाल मीणा ने अपने सशपथ कथनों में बताया है कि जेरे हिरासत मुलजिम इरफान ने उसे स्वेच्छा पूर्वक सूचना दी थी कि दिनाक 21.05.2016 व 22.05.2016 को वह जिस कार में रमेश दौलतपुरिया को झालरापाटन से झालावाड. उज्जैन एम०पी० ले गया था उस कार को चलकर बता सकता हूँ। सूचना प्र.पी-26 है जिस पर ए से बी उसके तथा सी से डी मुलजिम इरफान के हस्ताक्षर हैं। सूचना के अनुसरण में मुलजिम इरफान ने अपने रिहायशी मकान के बाहर खडी कार की ओर ईशारा करके बताया कि इसी कार से मैं रमेश दौलतपुरिया को दिनाक 21.05.2016 व 22.05.2016 को रमेश दौलतपुरिया को झालरापाटन से झालावाड व उज्जैन लेकर गया था यह कार मारूती सिफट सफेद रंग की है, जिस पर ब्लैक फिल्म चडी हुई थी कार के आगे पीछे नम्बर प्लेट पर आर जे 17 सीए 3941 लिखा हुआ था। अगली नम्बर प्लेट के उपर उपाध्यक्ष जिला काग्रेस प्रकोष्ठ झालावाड की प्लेट लगी हुई हैं। मौके पर इरफान से कार के स्वामित्व संबंधित दस्तावेज मांगे तो कार के अन्दर से आरसी व मूल बीमा सर्टिफिकेट पेश किया, अवलोकन किया तो कार आरिफ हुसैन असारी पुत्र हफीज अंसारी के नाम से पंजीकृत है जिसे मुलजिम इरफान द्वारा गिरवी रखकर स्वयं के कब्जे में होना बताया। फर्द जप्ती कार मारूती स्वीफ्ट प्र.पी-8 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर, इ से एफ मुलजिम इरफान के हस्ताक्षर, ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र.पी-9 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर, ई से एफ मुलजिम इरफान के हस्ताक्षर, ए से बी व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर हैं। जेरहिरासत मुलजिम भीमसिंह उर्फ भीमा ने उसे स्वेच्छा पूर्वक सूचना दी थी

कि वह और उसके साथी जब भी झालावाड आकर मकानो में रूकते थे वह मकान वह चलकर बता सकता हूँ, सूचना प्र.पी-27 है, जिस पर ए से बी उसके तथा सी से डी मुलजिम भीमसिंह के हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया था जो प्र.पी-21 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना में प्रकरण हाजा की कार्यवाही के दौरान रमेश दौलतपुरिया व राधेश्याम उर्फ श्याम मीणा घटनास्थल से फॉरच्यूनर कार आर जे 20 यूसी 0012 को घटनास्थल से लेकर फरार हुए थे जो प्रकरण हाजा में वांछित होने से कार को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया फर्द जप्ती कार प्र.पी-20 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। कार फॉरच्यूनर से संबंधित कागजात शामिल पत्रावली किए थे। मुलजिम रमेश व राधेश्याम मीणा की कॉल डिटेल सब्सकाईबर आईडी सिम नम्बरो के आधार पर नम्बरो की जानकारी चाहने बाबत् एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था जो प्र.पी-28 है, जिसे प्राप्त कर उसने शामिल पत्रावली किया। सीडीआर प्र.पी-29 है, जो दो तीन किता में है। मुलजिम रमेश दौलतपुरिया के आपराधिक रिकॉर्ड की सूची प्र.पी-30 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एटीएस टीम के द्वारा थाना प्रेमनगर जनपद देहरादून की चौकी झाझरा में जाकर अपनी आमद दर्ज करवाई थी उसके रोजनामचे की नकल प्रति प्र.पी-31 है, जिसे शामिल पत्रावली किया था। रमेश दौलपुरिया के खिलाफ पूर्व में दर्ज प्रकरणो की एफआईआर प्र.पी-32 लगायत प्र.पी-38 हैं। मुलजिम रणवीर सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड की सूची प्र.पी-39 लगायत 41 हैं जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम शिवराज सिंह की आपराधिक रिकॉर्ड की सूची प्र.पी-42 हैं जिस ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम भीमा उर्फ भीमसिंह के आपराधिक रिकॉर्ड की सूची प्र.पी-43 व 44 हैं जिस पर ए से बी उसके

हस्ताक्षर हैं। मुलजिम श्याम उर्फ राधेश्याम के आपराधिक रिकॉर्ड की सूची प्र.पी-45 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम रमेश दौलपुरिया के आपराधिक रिकॉर्ड सूची प्र.पी-46 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम राधेश्याम उर्फ श्याम को जरिये फर्द गिरफतार किया था, फर्द गिरफतारी प्र.पी-46 है, जिस पर ए से बी उसके सी से डी मुलजिम राधेश्याम के, व ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मुलजिमानो के खिलाफ जिला कलेक्टर महोदय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की थी जो प्र.पी-47 है, जो शामिल पत्रावली है। मुलजिम रमेश दौलतपुरिया उर्फ राहुल के पास मिली पिस्टल की लाईसेन्स के बारे में जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनु से प्राप्त हुआ था कि इसके नाम रिकॉर्ड में कोई हथियार का लाईसेन्स नही हैं, कलेक्टर साहब का पत्र प्र.पी-48 हैं। मुलजिम रणवीर व शिवराज के पास मिली पिस्टल की लाईसेन्स के बारे में जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट बांरा से प्राप्त हुआ था कि इसके नाम रिकॉर्ड में कोई हथियार का लाईसेन्स नहीं हैं। कलेक्टर साहब का पत्र प्र.पी-49 व 50 है। जप्तशुदा माल को जांच हेतु एफएसएल भेजा गया था। मुलजिम राधेश्याम उर्फ श्याम की आपराधिक रिकॉर्ड की सूची प्र.पी-51 है। इसके पश्चात् उसने पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ कोतवली झालावाड को सुपुर्द कर दी थी। **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया है कि रमेश दौलतपुरिया ने जो सूचना दी थी, वह उसके व उसके रीडर के सामने दी थी। यह बात सही है कि प्र.पी-4 लगायत प्र.पी-7 में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, सारे गवाह पुलिसकर्मी ही है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर ऐसा कागज नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि रीडर उसके साथ गया हो। यह कहना सही है कि उसके साथ रीडर की रवानगी हुई हो, ऐसे किसी रोजनामचा की नकल रपट उसने पेश नहीं की। यह कहना सही है कि

थाने से लेकर व्हाईट हाउस तक जाने के व्हाईट हाउस के कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज उसके द्वारा एकत्रित नहीं किये गये। उसकी जानकारी में नहीं है कि महेन्द्र सिंह की जन्मदिन की पार्टी चल रही हो और होटल उसी के नाम से बुक हो। यह कहना सही है कि होटल में कितने लोग ठहरे हुए थे, इसकी भी कोई जानकारी उसके द्वारा नहीं ली गई। होटल के गेस्ट रजिस्टर की कॉपी भी उसके द्वारा नहीं ली गई थी। यह सही है कि प्र.पी-7 में मुलजिम मनोज यदव ने स्वंय लम्बाई बताई हो, इस बारे में उसने कोई इन्द्राज नहीं किया। होटल के कमरा नम्बर-2 में कौनसे रंग का कलर हो रहा था और कितने बेड लगे हुए थे, वह आज नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसके द्वारा नक्शा मौका में भी यह बात नहीं लिखी गई कि कमरे में क्या क्या सामान था। वह आज यह नहीं बता सकता कि अमित यादव को गिरफ्तारी की सूचना किसने दी। जिस सोफे पर उसने गौरू को बैठना बताया, उसका रंग भी उसे नहीं पता। गौरू ने कपडे क्या पहन रखे थे, आज नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसने आस-पास पडौसियों से कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने मकान मालिक से पूछताछ की थी, परन्तु उसका कोई रिकार्ड नहीं है। यह कहना सही है कि गिन्दौर गेट से व्हाईट हाउस की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा इरफान को समय 10.45 पी.एम. पर उसके मकान से गिरफ्तार किया था। फर्द जब्ती स्वीफ्ट कार बनाने में करीब 10 मिनिट का समय लगा था। यह कहना गलत है कि उसने सारी फर्दे झूंठी बनाई हो और थाने पर बैठकर बनाई हो। कागज, पेन, कार्बन हमेशा उसके साथ रहते है, आज उसके पास नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने इस प्रकरण में दबाव में आकर झूंठा रिकार्ड बनाया हो। यह कहना सही है कि स्वीफ्ट गाडी को इरफान के नाम गिरवी रखने से संबंधित उसने कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं

किये। यह कहना सही है कि उसने मुलजिम राधेश्याम को गिरफ्तार किया था, उस समय उसके पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि इस प्रकरण में रूप सिंह मुलजिम है या नहीं। यह कहना भी सही है कि मुलजिम इरफान का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यह कहना भी सही है कि राधेश्याम से संबंधित आपराधिक रिकार्ड एफआईआर व चार्जशीट उसने पत्रावली में पेश नहीं की। यह उसे पता नहीं है कि मुलजिम रमेश इरफान के घर किस दिन रूका था, वह तारीख से पता नहीं है और न ही उसे यह पता है कि उसने रमेश को रिवाल्वर किस तारीख को दी थी। यह कहना भी सही है कि इरफान ने रमेश को रिवाल्वर जो दी थी, वह गिफ्ट में दी थी या बैची थी। यह कहना सही है कि मुलजिम इरफान के घर आने जाने की आमद रवानगी पत्रावली में नहीं है। इस प्रकार अभियोजन के महत्वपूर्ण गवाह पी.ड-18 लखनलाल ने मुलजिम इरफान अली के द्वारा अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया को .9 एमएम पिस्टल व 6 कारतूस देने का कथन किया है। मुलजिम इरफान अली की द्वारा धारा-27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर उसके द्वारा उसे अभियुक्त बनाया है तथा अभियुक्त इरफान अली की निशादेही पर घटना स्थल का तस्दीक नक्शा मौका बनाया गया है, जहां इरफान अली द्वारा रमेश दौलतपुरिया को हथियार दिया गया है। अनुसंधान में यह कहीं भी साबित नहीं है कि इरफान अली उक्त हथियार कहां से लेकर आया। उक्त हथियार इरफान अली के पास कैसे आये। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य मौन है। मुलजिम रमेश दौलतपुरिया के कथनों के आधार पर मुलजिम इरफान अली को मुलजिम बनाया गया है। इसके अलावा अभियुक्त इरफान अली के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त मनोज उर्फ गोरू को भी अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया के कथनों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है।

अभियुक्त मनोज उर्फ गोरू के विरूद्व रमेश दौलतपुरिया को .22 एम.एम. रिवाल्वर मय 17 जिन्दा कारतूस देने का आरोप है, परन्तु मनोज उर्फ गौरू .22 एम.एम. रिवाल्वर तथा 17 जिन्दा कारतूस कहां से लाया, उसके पास कैसे आये, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य मौन है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त इरफान अली व मनोज उर्फ गौरू के द्वारा अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया को हथियार देते हुए देखा हो। इस प्रकार उक्त इत्तिला के अलावा पत्रावली पर उसके समर्थन में किसी भी तरह की कोई साक्ष्य नहीं है। Moin Khan Petitioner Versus The State Of NCT Of Delhi Through ANTF Crime Branch, Crl. Rev. P. 1241 Of 2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है कि-(B) Evidence Admissibility of statements The court ruled that disclosure statements of co-accused are in admissible without corroboration, and CDR evidence alone does not establish a prima facie case against the petitioner. (Paras 16, 17) इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है कि disclosure statements of co-accused साक्ष्य में (admissible) नहीं है, जब तक कि उसकी सम्पुष्टि नहीं हो। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर मुलजिमान के disclosure statements है, जिसकी ताईद में किसी भी तरह की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर मुलजिमान के द्वारा दी गई सूचनाएं और सूचना के अनुसरण में बनाया गया फर्द तस्दीक नक्शा मौका साक्ष्य में ग्राह्रय नहीं है। अतः केवल मात्र इस आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्व नहीं किया जा सकता है।

37- हस्तगत प्रकरण में फर्द प्र.पी-4 से प्र.पी-7 में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं रखे गये है। समस्त गवाह पुलिस कर्मी है, जो पी.ड-18 लखनलाल के अधीनस्थ है। स्वतंत्र गवाह नहीं रखने का पत्रावली पर कोई भी कारण नहीं है। उक्त स्थिति भी सन्देह उत्पन्न करती है। पत्रावली पर यह कहीं साबित नहीं है कि इरफान के द्वारा रमेश दौलतपुरिया को एक रिवाल्वर तथा 6 कारतूस कब दिये। रमेश दौलतपुरिया को इरफान के द्वारा उसके मकान में पनाह दी हो और इरफान रमेश दौलतपुरिया के साथ किसी ने जाते हुए देखा हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मुलजिम मनोज उर्फ गोरू के द्वारा भी रमेश दौलतपुरिया को एक .22 एम.एम. रिवाल्वर तथा 17 जिन्दा कारतूस कब दिये, यह साक्ष्य से साबित नहीं है। इस संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मुलजिम रमेश दौलतपुरिया व्हाईट हाउस में ठहरा, इस संबध में व्हाईट हाउस के रजिस्टर में उसका इन्द्राज हो, साक्ष्य से साबित नहीं है। व्हाईट हाउस से किसी भी तरह का कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज जब्त नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षण में पी.ड-18 लखनलाल स्वीकार करता है कि होटल के गेस्ट रजिस्टर की प्रति उसके द्वारा नहीं ली गई। अतः इसके अभाव में यह साबित नहीं है कि रमेश दौलतपुरिया व्हाईट हाउस में ठहरा हो। रमेश दौलतपुरिया के गेस्ट हाउस में ठहरने के संबंध में गेस्ट हाउस के रजिस्टर की कॉपी प्राप्त की जा सकती थी, परन्तु अनुसंधान अधिकारी के द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड जो आसानी से मिल सकता था, उसके बावजूद भी नहीं लिया। पी.ड-18 लखनलाल जिरह में इरफान के द्वारा इत्तिला उसके व उसके रीडर के सामने देना बताता है। रीडर साथ गया हो, पत्रावली पर ऐसी साक्ष्य नहीं है। रीडर के इत्तिला पर हस्ताक्षर नहीं है। रवानगी रोजनामचा रपट साक्ष्य से साबित नहीं है। व्हाईट हाउस के जिस कमरा नम्बर-2 में मुलजिम रमेश दौलतपुरिया ठहरा, उसमें

क्या सामान था, साक्ष्य में नहीं बताया, न हो टल से सी.सी.टी.वी. फुटेज जब्त किये। पत्रावली पर मुलजिम इरफान, मनोज उर्फ गौरू व रमेश दौलतपुरिया की घटना से पूर्व या बाद में फोन पर हुई कोई वार्ता की सी.डी.आर. नहीं है, जिससे साबित हो सके कि उक्त मुलजिमान का आपस में सम्पर्क रहा हो। मुलजिम इरफान का आपराधिक रिकार्ड भी साक्ष्य से साबित नहीं है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड-18 प्रतिपरीक्षण में बहुत चौकाने वाला कथन करता है कि इस प्रकरण में रूप सिंह अभियुक्त है या नहीं, उसकी जानकारी में नहीं है। जबकि उक्त गवाह प्रकरण का महत्वूपर्ण गवाह है और सम्पूर्ण प्रकरण का अनुसंधान उक्त पी.ड-18 लखनलाल के द्वारा किया गया है। अनुसंधान पी.ड-18 लखनलाल गैर जिम्मेदाराना साक्ष्य देता है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त रूप सिंह एक निर्दोष व्यक्ति को उक्त अपराध में संलिप्त किया गया है, जिसके विरूद्व पत्रावली पर किसी भी प्रकार की साक्ष्य विद्यमान नहीं है। किसी भी गवाह ने रूप सिंह का नाम नहीं बताया है। रूप सिंह को किस आधार पर उक्त प्रकरण में अभियुक्त बनाया है, यह अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है।

38- अतः उपर्युक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर अभियोजन यह सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि मुलजिम मनोज उर्फ गौरू व इरफान के द्वारा जब्तशुदा हथियारों को अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया, भीमा उर्फ भीम सिंह, शिवराज चौधरी को दिये गये हो और इरफान अली के द्वारा रमेश धोलपुरिया को उज्जैन पहुंचाकर कोई सहायता की हो और मनोज उर्फ गौरू के द्वारा अभियुक्त रमेश दौलतपुरिया को व्हाईट हाउस में रूकने में सहायता की हो और रूप सिंह ने उक्त मुलजिमान को रहने व आवागमन के लिये वाहन उपलब्ध कराया हो। अतः अभियोजन अभियुक्तगण मनोज उर्फ गौरू, इरफान के विरूद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-216 ए भा.दं-

.सं. व धारा-7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम तथा रूप सिंह के विरूद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-216ए भा.दं.सं. सन्देह से परे साबित करा पाने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

39- इस प्रकार अभियोजन पक्ष बिन्दु संख्या-1 व 2 को सन्देह से परे साबित करा पाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण रमेश दौलतपुरिया, भीम सिंह, शिवराज चौधरी आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-399,402,120बी भा.दं.सं. व धारा-3/25, 7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त श्यामा उर्फ श्याम मीना के विरूद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-399,402,120बी भा.दं.सं., अभियुक्तगण मनोज उर्फ गौरू, इरफान आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-216ए भा.दं.सं. व धारा-7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम तथा रूप सिंह आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-216ए भा.दं.सं. में सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

40- अतः अभियुक्तगण **01- रमेश दौलतपुरिया उर्फ राहुल** पुत्र हरिशचंद, उम्र-38 साल, निवासी दौलतपुरा, पुलिस थाना सदर, झुन्झनू, जिला-झुन्झनू (राज.), **02-भीम सिंह उर्फ भीमा** पुत्र लक्ष्मण सिंह, उम्र-28 साल, निवासी जोलपा, पुलिस थाना खानपुर, जिला-झालावाड (राज.), **03-शिवराज चौधरी** पुत्र महावीर चौधरी, उम्र-32 साल, निवासी नया गांव, पुलिस थाना आरकेपुरम, कोटा शहर हाल फतेहपुर, पुलिस थाना सदर, बांरा,

जिला-बांरा (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा-399,402,120बी भा.दं.सं. व धारा-3/25, 7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम में, अभियुक्त **04-श्यामा उर्फ श्याम मीना** पुत्र कालूलाल, निवासी जवाहर कॉलोनी, झालावाड, पुलिस थाना झालावाड (राज.) को अपराध अंतर्गत आरोपित अपराध अर्न्तगत धारा-399, 402, 120बी भा.दं.सं. में, अभियुक्त **05-मनोज उर्फ गोरू** पुत्र मन्नालाल, उम्र-45 साल, निवाासी गोदाम की तलाई, झालावाड, पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड, जिला-झालावाड (राज.), **06- इरफान अली** पुत्र लियाकत अली, उम्र-32 साल, निवासी बर्डी के चबूतरे के पास, झालरापाटन, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला-झालावाड (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा-216ए भा.दं.सं. तथा धारा-7/25 (1क,क) आयुध अधिनियम में तथा अभियुक्त **07-रूप सिंह** पुत्र भीम सिंह, उम्र-43 साल, निवासी गिन्दौर, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला-झालावाड (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा-216 भा.दं.सं. में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

41- प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो बदस्तूर उसी के पास रहे तथा बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा तथा जमानतनामा निरस्त समझा जावे। प्रकरण में जब्तशुदा मोबाईलों को उनके स्वामियों को लौटाया जावे।

42- प्रकरण में जब्तशुदा आग्नेय अस्त्रों तथा कारतूसों को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार शस्त्रागार में जमा करवाया जावे।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण
झालावाड़

43- निर्णय आज दिनांक 04.05-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(बरकत अली)
विशिष्ठ न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण
झालावाड़

<u>प्रमाण-पत्र</u>

निर्णय में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(मोहम्मद हुसैन)
स्टेनो ग्रेड-I

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिये है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।